छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा | तृतीय सत्र

सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2024

(आषाढ़ 31, शक सम्वत् 1946)

[अंक 01]

Webcopy

विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष	डॉ. रमन सिंह
सचिव	श्री दिनेश शर्मा

सभापति तालिका

1. श्री विक्रम उसेण्डी
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. सुश्री लता उसेण्डी
4. श्री लखेश्वर बघेल
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री प्रबोध मिंज

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय राज्यपाल

श्री विश्व भूषण हरिचन्दन

मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सूची

01.	श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री	सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसम्पर्क, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित ना हो.
02.	श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री	लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन
03.	श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री	गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
04.	श्री रामविचार नेताम, मंत्री	आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण
05.	श्री दयाल दास बघेल, मंत्री	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
06.	श्री केदार कश्यप, मंत्री	संसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता
07.	श्री लखनलाल देवांगन, मंत्री	वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम
08.	श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन
09.	श्री ओ. पी. चौधरी, मंत्री	वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी,
10.	श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री	महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण
11.	श्री टंक राम वर्मा, मंत्री	खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सदस्यों की वर्णात्मक सूची
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक सहित)

अ

01.	अंबिका मरकाम, श्रीमती	56-सिहावा (अ.ज.जा.)
02.	अजय चन्द्राकर	57-कुरूद
03.	अटल श्रीवास्तव	25-कोटा
04.	अनिला भेंडिया, श्रीमती	60-डौंडीलोहारा (अ.ज.जा.)
05.	अनुज शर्मा	47-धरसींवा
06.	अमर अग्रवाल	30-बिलासपुर
07.	अरूण साव	26-लोरमी
08.	आशाराम नेताम	81-कांकेर (अ.ज.जा.)

इ

01.	इंद्र कुमार साहू	53-अभनपुर
02.	इंद्र साव	46-भाटापारा
03.	इन्द्रशाह मंडावी	78-मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.)
04.	ईश्वर साहू	68-साजा

उ

01.	उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती	17-सारंगढ़ (अ.जा.)
02.	उद्धेश्वरी पैकरा, श्रीमती	08-सामरी (अ.ज.जा.)
03	उमेश पटेल	18-खरसिया

ओ

01.	ओंकार साहू	58-धमतरी
02.	ओ.पी.चौधरी	16-रायगढ़

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क

01.	कवासी लखमा	90-कोन्टा (अ.ज.जा.)
02.	कविता प्राण लहरे, श्रीमती	43-बिलाईगढ़ (अ.जा.)
03.	किरण देव	86-जगदलपुर
04.	कुंवर सिंह निषाद	61-गुण्डरदेही
05.	केदार कश्यप	84-नारायणपुर (अ.ज.जा.)

ग

01.	गजेन्द्र यादव	64-दुर्ग शहर
02.	गुरू खुशवंत साहेब	52-आरंग (अ.जा.)
03.	गोमती साय, श्रीमती	14-पत्थलगांव (अ.ज.जा.)

च

01.	चरणदास महंत, डॉ.	35-सक्ती
02.	चातुरी नंद, श्रीमती	39-सराईपाली (अ.जा.)
03.	चैतराम अटामी	88-दंतेवाड़ा (अ.ज.जा.)

ज

01.	जनक ध्रुव	55-बिन्द्रानवागढ़ (अ.ज.जा.)

ट

01.	टंक राम वर्मा	45-बलौदाबाजार

ड

01.	डोमनलाल कोर्सेवाड़ा	67-अहिवारा (अ.जा.)

त

01.	तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम	23-पाली-तानाखार (अ.ज.जा.)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

द

01.	दयाल दास बघेल	70-नवागढ़ (अ.जा.)
02.	दलेश्वर साहू	76-डोंगरगांव
03.	दिलीप लहरिया	32-मस्तूरी (अ.जा.)
04.	दीपेश साहू	69-बेमेतरा
05.	देवेंद्र यादव	65-भिलाई नगर
06.	द्वारिकाधीश यादव	41-खल्लारी

ध

01.	धरम लाल कौशिक	29-बिल्हा
02.	धर्मजीत सिंह	28-तखतपुर

न

01.	नीलकंठ टेकाम	82-केशकाल (अ.ज.जा.)

प

01.	पुन्नूलाल मोहले	27-मुंगेली (अ.जा.)
02.	पुरन्दर मिश्रा	50-रायपुर नगर (उत्तर)
03.	प्रणव कुमार मर्पची	24-मरवाही (अ.ज.जा.)
04.	प्रबोध मिंज	09-लुण्ड्रा (अ.ज.जा.)
05.	प्रेमचंद पटेल	22-कटघोरा

फ

01.	फूल सिंह राठिया	20-रामपुर (अ.ज.जा.)

ब

01.	बघेल लखेश्वर	85-बस्तर (अ.ज.जा.)
02.	बालेश्वर साहू	37-जैजेपुर
04.	ब्यास कश्यप	34-जांजगीर-चांपा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

भ

01.	भावना बोहरा, श्रीमती	71-पण्डरिया
02.	भूपेश बघेल	62-पाटन
03.	भूलन सिंह मराबी	04-प्रेमनगर
04.	भैयालाल राजवाड़े	03-बैकुंठपुर
05.	भोला राम साहू	77-खुज्जी

म

01.	मोती लाल साहू	48-रायपुर ग्रामीण

य

01.	यशोदा नीलाम्बर वर्मा, श्रीमती	73-खैरागढ़
02.	योगेश्वर राजू सिन्हा	42-महासमुन्द

र

01.	रमन सिंह, डॉ.	75-राजनांदगांव
02.	राघवेन्द्र कुमार सिंह	33-अकलतरा
03.	राजेश अग्रवाल	10-अम्बिकापुर
04.	राजेश मूणत	49-रायपुर नगर (पश्चिम)
05.	रामविचार नेताम	07-रामानुजगंज (अ.ज.जा.)
06.	रामकुमार टोप्पो	11-सीतापुर (अ.ज.जा.)
07.	रामकुमार यादव	36-चंद्रपुर
08.	रायमुनी भगत, श्रीमती	12-जशपुर (अ.ज.जा.)
09.	रिकेश सेन	66-वैशाली नगर
10.	रेणुका सिंह सरूता, श्रीमती	01-भरतपुर-सोनहत (अ.ज.जा.)
11.	रोहित साहू	54-राजिम

ल

01.	लक्ष्मी राजवाड़े, श्रीमती	05- भटगांव
02.	लखन लाल देवांगन	21-कोरबा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

03.	लता उसेंडी, सुश्री	83-कोण्डागांव (अ.ज.जा.)
04.	ललित चन्द्राकर	63-दुर्ग ग्रामीण
05.	लालजीत सिंह राठिया	19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)

व

01.	विक्रम उसेण्डी	79-अंतागढ़ (अ.ज.जा.)
02.	विक्रम मण्डावी	89-बीजापुर (अ.ज.जा.)
03.	विजय शर्मा	72-कवर्धा
04.	विद्यावती सिदार, श्रीमती	15-लैलूंगा (अ.ज.जा.)
05.	विनायक गोयल	87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)
06.	विष्णु देव साय	13-कुनकुरी (अ.ज.जा.)

श

01.	शकुन्तला सिंह पोर्ते, श्रीमती	06-प्रतापपुर (अ.ज.जा.)
02.	शेषराज हरवंश, श्रीमती	38-पामगढ़ (अ.जा.)
03.	श्याम बिहारी जायसवाल	02-मनेन्द्रगढ़

स

01.	संगीता सिन्हा, श्रीमती	59-संजारी बालोद
02.	संदीप साहू	44-कसडोल
03.	संपत अग्रवाल	40-बसना
04.	सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती	80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.)
05	सुशांत शुक्ला	31-बेलतरा

ह

01.	हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती	74-डोंगरगढ़ (अ.जा.)

51-रायपुर नगर (दक्षिण)	**रिक्त**

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2024

(आषाढ़ 31, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

समय :

11.00 बजे **<u>राष्ट्रगीत/राज्यगीत</u>**

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" के साथ राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" होगा । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगीत एवं राज्यगीत के लिये कृपया अपने स्थान पर खड़े हों ।

(राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" और राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" का गायन किया गया)

समय :

11.03 बजे **<u>निधन का उल्लेख</u>**

(1) श्री मकसूदन लाल चंद्राकर, अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व संसदीय सचिव ।

(2) श्री अमीन साय, अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य ।

(3) श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल, अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य ।

(4) श्री अग्नि चंद्राकर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य ।

(5) श्री अन्तुराम कश्यप, अविभाजित मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की प्रथम विधानसभा के पूर्व सदस्य ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व संसदीय सचिव, श्री मकसूदन लाल चंद्राकर का दिनांक 20 मार्च, 2024, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री अमीन साय का दिनांक 28 अप्रेल, 2024, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल का दिनांक 03 जून, 2024, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री अग्नि चंद्राकर तथा श्री अन्तुराम कश्यप अविभाजित मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की प्रथम विधान सभा के पूर्व सदस्य का दिनांक 09 जुलाई, 2024 को निधन हो गया है ।

श्री मकसूदन लाल चंद्राकर का जन्म 15 जुलाई, 1941 को ग्राम-परसदा, जिला-महासमुंद में हुआ था। वे ग्राम-लभराखुर्द के पंच तथा जनपद सदस्य महासमुंद रहे । वे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महासमुंद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम बार सन् 1980 तथा द्वितीय बार 1985 में अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । सन् 1980-1985 में अविभाजित मध्यप्रदेश शासन में उन्होंने सहकारिता एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के संसदीय सचिव पद का दायित्व भी संभाला । उनकी कृषि कार्यों में विशेष अभिरूचि थी ।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी को खो दिया है ।

श्री अमीन साय का जन्म 14 फरवरी, 1943 को ग्राम-जशवंतपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज में हुआ था । वे छात्र जीवन से ही राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे । वे आदिम जाति वित्त विकास निगम के जिला अध्यक्ष तथा जिला सहकारी भूमि विकास बैंक एवं कोऑपरेटिव बैंक के सदस्य रहे । जनता पार्टी की टिकट पर सामरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम बार सन् 1977 तद्न्तर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 1990 तथा 1993 में अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उनकी खेलकूद, हरित क्रांति तथा सांस्कृतिक कार्यों में विशेष अभिरूचि थी। आप अपने क्षेत्र के विकास के लिये हमेशा संघर्षशील रहे।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता को खो दिया है।

श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल का जन्म 13 जून, 1939 को ग्राम-छुईपाली, जिला-रायगढ़ में हुआ था। उन्होंने बी.ए., एलएल.बी., तक की शिक्षा प्राप्त की थी। आपका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं वकालत था। वे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर खरसिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से सन् 1977, 1980 तथा 1985 में लगातार तीन बार अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे। उनकी कृषि, खेलकूद एवं समाजसेवा में विशेष अभिरूचि थी। आप अपने क्षेत्र के विकास के लिये हमेशा संघर्षशील रहे।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता तथा समाजसेवी को खो दिया है।

श्री अग्नि चंद्राकर का जन्म 01 जनवरी, 1954 को ग्राम-बकमा, जिला-महासमुंद में हुआ था। उन्होंने बी. कॉम., एलएल.बी. की शिक्षा प्राप्त की थी। वे ग्राम-धनसुली के सरपंच रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की टिकट पर महासमुंद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम बार सन् 1993 तथा दूसरी बार सन् 1998 में अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये तथा मध्यप्रदेश से अलग होकर बने नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधान सभा के सदस्य रहे। वे अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा में अनेक समितियों के सदस्य तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा में अनेक समितियों के सदस्य तथा प्राक्कलन समिति के सभापति रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की टिकट पर महासमुंद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से ही तीसरी बार सन् 2008 में छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। सन् 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विज्ञान विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष बनाये गये। उनकी

कृषि, पर्यटन, साहित्य पठन तथा सामाजिक कार्यों में विशेष अभिरूचि थी। उन्होंने अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता तथा समाजसेवी को खो दिया है।

श्री अंतुराम कश्यप का जन्म 01 जुलाई, 1942 को ग्राम-पुजारीपारा, जिला-बस्तर में हुआ था। उन्होंने एम.ए. की शिक्षा प्राप्त की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की टिकट पर भानपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम बार सन् 1993 तथा दूसरी बार सन् 1998 में अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये तथा मध्यप्रदेश से अलग होकर बने नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधान सभा के सदस्य रहे। वे छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति तथा अनेक समितियों के सदस्य रहे। उनकी कृषि तथा सामाजिक कार्यों में विशेष अभिरूचि थी। उन्होंने अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता तथा समाजसेवी को खो दिया है।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बीते विधान सभा सत्र की समाप्ति से लेकर वर्तमान सत्र के प्रारंभ होने के अंतराल में अनेक ऐसे साथियों और मार्गदर्शकों को हम सबने खो दिया है, जिन्होंने अपने योगदान से संसदीय परंपरा के गौरव को बढ़ाया है। इस अवधि के दौरान इन सम्मानित जनों को काल ने हमसे छीन लिया है। विधाता के विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं। राष्ट्र, समाज और लोकतंत्र की मजबूती के लिए इन हस्तियों द्वारा दिए गए योगदान को याद करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके परिजनों को इस असीम दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

स्व. श्री मकसूदन लाल चंद्राकर जी अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा के पूर्व विधायक थे, जिनका 20 मार्च, 2024 को महासमुंद में निधन हो गया। उनका जन्म 15 जुलाई, 1941 को हुआ था। उन्होंने महासमुंद के शासकीय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्राम-लभराखुर्द से पंच के रूप में की थी। वर्ष 1980 से वर्ष 1985 और फिर 1985 से 1990 तक वे दो बार महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1980 से 1985 के दौरान अविभाजित मध्यप्रदेश में संसदीय सचिव सहकारिता एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के पद पर भी रहे । स्वर्गीय श्री मकसूदन चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनेताओं में से थे । मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व विधायक श्री अमीन साय जी का 28 अप्रैल 2024 को निधन हो गया । उनका जन्म 14 फरवरी, 1943 को ग्राम जसवंतपुर में हुआ था । छात्र जीवन से ही वे जनसंघ के कार्यकर्ता थे । सन् 1968 से 1976 तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया । वर्ष 1977 तथा 1990 के विधान सभा चुनाव में से सामरी विधान सभा क्षेत्र से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए । सन् 1993 में

तीसरी बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए । आदिवासी समुदाय में उनका गहरा प्रभाव था । श्री अमीन साय जी के निधन से आदिवासी समाज को अपूरणीय क्षति हुई है । स्वर्गीय श्री अमीन साय जी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

पूर्व विधायक श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल का 03 जून, 2024 को उनके गृहग्राम छुईपाली में निधन हो गया । उनका जन्म 13 जून 1939 को हुआ था । उन्होंने बी.ए., एल-एल.बी. की शिक्षा प्राप्त की थी । वकालत के साथ-साथ खेती-किसानी, खेल-कूद और समाज सेवा में भी उनकी अभिरूचि थी । अविभाजित मध्यप्रदेश में विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हमेशा आम लोगों के मुद्दों को विधान सभा में उठाया । वे मिलनसार, मृदुभाषी और सेवाभावी थे । सन् 1977 में वे खरसिया विधान सभा क्षेत्र से पहले विधायक निर्वाचित हुए । उसके बाद वे सन् 1980 और 1985 में लगातार खरसिया से विधायक निर्वाचित हुए । 1 अगस्त, 1980 से फरवरी 1985 तक वे मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष रहे । मैं स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक श्री अग्नि चन्द्राकर जी का 23 जून, 1923 को निधन हो गया । उनका जन्म 01 जनवरी, 1954 को महासमुंद के ग्राम बखिया में हुआ था । उन्होंने बी.कॉम., एल-एल.बी. की शिक्षा प्राप्त की थी । स्वर्गीय श्री अग्नि चंद्राकर जी महासमुंद विधान सभा क्षेत्र से 03 बार विधायक रहे । सन् 1986 में निर्विरोध सरपंच चुने जाने के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरूआत की थी । वर्ष 1993 में विधान सभा सदस्य के रूप में प्रथम बार निर्वाचित हुए । दूसरी बार सन् 1998 में और तीसरी बार 2008 में विधान सभा सदस्य चुने गए । स्वर्गीय श्री अग्नि चंद्राकर जी के निधन से छत्तीसगढ़ ने एक वरिष्ठ राजनेता को खो दिया है । उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है । मैं स्वर्गीय श्री अग्नि चन्द्राकर जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक श्री अंतुराम कश्यप जी का 09 जुलाई 2024 को निधन हो गया । उनका जन्म 01 जुलाई, 1942 को बस्तर के ग्राम पुजारीपारा में हुआ था । उन्होंने एम.ए. की शिक्षा प्राप्त की थी । स्वर्गीय श्री अंतुराम कश्यप जी भानपुरी विधान सभा क्षेत्र से 02 बार विधायक रहे । सन् 1993 में प्रथम बार एवं 1998 में द्वितीय बार विधान सभा हेतु सदस्य चुने गए । वे आदिवासी समाज के प्रमुख पथ-प्रदर्शकों में से थे । स्वर्गीय श्री अंतुराम कश्यप जी के निधन से छत्तीसगढ़ ने एक वरिष्ठ राजनेता को खो दिया है । उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है । मैं स्वर्गीय श्री अंतुराम कश्यप जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्यंत दुखद अवसर है । आज श्रावण के प्रथम सोमवार के पावन दिन पर भी दुखद निधन की चर्चा करने के लिए मजबूर हो गए हैं । ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे सभी मृतात्मा साथियों को अपने चरणों में स्थान दें, उन्हें चिर-शांति प्रदान

करें और दिव्य-ज्योति में लीन कर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें । आदरणीय मकसूदन लाल जी चंद्राकर जो 1980-85 में विधायक रहे । वे बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे । उन्होंने अपना जीवन एक-दूसरे के साथ बैठकर हंसी-मजाक कर, अपना प्रेम प्रदर्शित किया, वह हम सबको याद है । मैं उनके साथ रहा, वे हमेशा गांव के बारे में ही नहीं, गांव के पंच को क्या तकलीफ होती है, उसके बारे में चर्चा करते रहे। वे बिल्कुल पूरी तरीके से ग्रामीण जन-जीवन से ओत-प्रोत थे। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री अमीन साय जी, वर्ष 1977, 1990 और 1993 में हमारे साथी रहे। मगर 1993 में ही कांग्रेस के या जितने भी विधायकगण हैं, उनको ज्यादा इसलिए नहीं पहचानते थे कि वे बहुत ही सीधे-साधे और सरल थे। 1993 में हम सब लोग थे और उनकी जब भी चर्चा की बात आती थी, वे अपने क्षेत्र और जिले की चर्चा करते थे। वे बहुत ही सजग रूप में रहे। उन्होंने पूरा जीवन सरलता और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना विधायक का जीवन जिया। मैं उनको याद करते हुए नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल, तीन बार विधायक रहे। 1977 में विधायक रहे, 1980 और 1985 में मेरे साथ विधायक रहे। 1988 के बाद उन्हें राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। वे मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। उस दौरान उन्होंने बहुत सारे साथियों को अपनी ओर से जो मदद कर सकते थे, की। उन्होंने राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में पूरे प्रदेश का भी दौरा किया और किस तरह से छत्तीसगढ़ की कृषि को, छत्तीसगढ़ की कृषि की अन्य विधाओं को हम आगे ला सकते हैं, उस पर उनकी बड़ी रूचि थी। वे बहुत ही सरल और सीधे व्यक्ति थे। उन्होंने छोटे से गांव छुहिपाली से अपनी जीवन की शुरूआत की। मैं उनके इस सादगी भरे जीवन को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री अग्नि चंद्राकर जी, 1993 और 1998 में हम लोगों के साथ विधायक रहे। वे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, मगर उनमें आगे बढ़ने की थोड़ी चाहत थी। वे थोड़ा शहरी वातावरण में जीना पसंद करते थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, अच्छे कपड़े पहनते थे। उन्होंने हम सब लोगों के साथ अपना जीवन भी बिताया और बड़े अच्छे ढंग से हम लोगों के बीच रहे। ऐसा लगता था कि एक गोरा नारा अंग्रेज हम लोगों के साथ यहां एक सदस्य के रूप में घूम रहा है। हम उनको याद करते हैं, उनकी विनम्रता को उनकी सरलता को याद करते हुए, उनके पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं।

आदरणीय अंतुराम कश्यप जी, वर्ष 1993 और 1998 में विधायक रहे। जैसा कि बस्तर के विधायकों की अधिकतर एक पहचान बन जाती थी कि विधायक बनकर एक कोने में बैठे रहना और किसी से कुछ नहीं कहना। हम लोग उनको उचकाते थे कि कुछ बोलिए, क्षेत्र के बारे में बोलिए। वे बहुत

ही सरल व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने बड़े दिनों बाद संसदीय कार्य में अपनी भागीदारी निभाने की कोशिश की। हम उनको सीधे-साधे बस्तरिया के रूप में बहुत स्मरण करते हैं और उनके प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए, उन्हें नमन करते हैं। इन सब के परिवार को एक गहन दु:ख पहुंचा है, उनके परिवार, उनके पदचिन्हों पर चलकर आगे बढ़ें। हम लोग यह शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन सबको अपने दिव्य-ज्योति में विलीन कर चिर-शांति प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिन महानुभावों के नामों का उल्लेख किया है, मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष जी ने जो भावनायें व्यक्त की है, मैं उस पर अपने आप को शामिल करता हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, मकसूदन चन्द्राकर जी और लक्ष्मी पटेल जी, मुझे इनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन संगठन में जरूर उनके साथ काम किया हूँ । अध्यक्ष महोदय, मकसूदन चन्द्राकर जी, बहुत ही सहज, सरल, मिलनसार के साथ ही उनके बात करने का अंदाज चुटीला था । अध्यक्ष महोदय, वे कलाकार भी थे और पंचायत से लेकर विधानसभा तक पहुंचे । अध्यक्ष महोदय, मैं जब वर्ष 1993 में पहली बार चुनाव लड़ा तो चुनाव संचालक के रूप में पार्टी की तरफ से भेजा गया था, तब से मेरा परिचय रहा है । अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मी पटेल जी से भी संगठन के माध्यम से संपर्क में आये, जब वह हमारे यहां चुनाव अधिकारी बनकर आये थे, तब उनसे संपर्क रहा और निरंतर उससे संबंध बने रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, अमीन साय जी सरगुजा से आते हैं, सामरी बार्डर का क्षेत्र है, जनसंघस के जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित हुये थे, हालांकि वर्ष 1993 में हम लोग साथ में थे । जैसा कि नेता जी ने कहा कि ज्यादा संपर्क व संबंध नहीं रहा है, लेकिन वह साथ में विधायक रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, अंतुराम कश्यप, अग्नि चन्द्राकर जी, हम सब लोग मध्यप्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी साथ में काम किये हैं । अध्यक्ष महोदय, हम लोग इनके साथ अनेक आंदोलनों में, पार्टी कार्यक्रमों में मिलते थे और एक पारिवारिक संबंध इन महानुभावों से रहा है, उनके निधन से उस क्षेत्र के साथ ही प्रदेश को भी निश्चित रूप से एक अपूरणीय क्षति हुई है और मैं इसे व्यक्तिगत क्षति भी मानता हूँ । अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी महानुभावों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- रामविचार जी ।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, आज सत्र का पहला दिवस है और स्वाभाविक रूप से इस सत्र में जो दिवंगत होते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है । अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के नेता ने जो भावना व्यक्त की है और नेता प्रतिपक्ष के साथ-साथ भूपेश बघेल जी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, मैं उसमें स्वयं को समाहित करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्व. मकसूदन लाल चन्द्राकर जी, स्व.लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी, स्व. अग्नि चन्द्राकर जी, स्व.अंतुराम कश्यप जी, इन सब का इस प्रदेश के विकास में, उसे बेहतर बनाने में, उस क्षेत्र के विकास के लिये, पूरे

जीवनकाल में इन सब ने जो संघर्ष किया है और न जाने कितने लोगों को सहारा दिया है, इनका जो कृतित्व है, जो नेतृत्व रहा है, उन सब को प्रदेश कभी भूल नहीं पायेगा, हम उन सब को श्रद्धांजलि देते हैं । अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्व. अमीन साय जी की बात है तो वह सामरी विधान सभा क्षेत्र से वर्ष 1977 के बाद वर्ष 1980, वर्ष 1990, वर्ष 1993 में उनके साथ में रहने का अवसर मिला । अध्यक्ष महोदय, इतने सहज और सरल और इतने सादगीप्रिय थे कि आज का जो दौर है, इस दौर में देखते हैं और उस समय की जो परिस्थिति को देखते हैं, आपके साथ में तो हम सब रहे हैं, उनको जो पेंशन पहली बार मिला था तो उनको इतनी खुशी हुई और बोल रहे थे कि हमको 20 हजार पेंशन मिला ? अध्यक्ष महोदय, 20 हजार पेंशन में क्या-क्या खर्च करेंगे, यह प्लॉन बनता था । अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा ने ही हमारे पूर्व विधायकों का पेंशन और बाकी सुविधाओं का विस्तार करते हुये बहुत सारी सुविधायें देना शुरू किया था, तब वह बोले कि मैं तो बहुत मजे में हूँ, मैं उनसे मिलते रहता था, उनके साथ मेंरे अच्छे संबंध थे और इतने सहज-सरल थे कि आज भी उनका घर खपरैल का ही था । स्वर्गीय लरंग साय जी और उनका घर आमने-सामने ही था । मैं समझता हूं कि स्वर्गीय लरंग साय जी की उनके ऊपर छाप पड़ी थी, वह उन्होंने निभायी । मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसे बिरले आत्मा शायद ही राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई देते हैं । इस प्रदेश के लिए, देश के लिए, अपने-अपने क्षेत्रों के लिए, समाज के लिए उन सबकी जो भूमिका रही, उन्होंने नेतृत्व किया, लोगों को जो सहारा दिया, लोगों के लिए बहुत सारी योजना चलाकर काम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से स्वयं को समाहित करते हुए आपकी भावना के अनुरूप इन सभी मृतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । ईश्वर उनके परिवार और परिवारजन इस विपदा में इस कष्ट को, इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी मैं कामना करता हूं । ओम शांति ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से लेकर आजतक इस सत्र तक हमने अपने प्रदेश के ऐसे पॉच राजनेताओं को खोया है, जिसकी क्षति अपूरणीय है । अभी आपके साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, भूपेश बघेल जी, रामविचार जी उनके दुख को सदन में व्यक्त कर रहे थे । स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी, स्वर्गीय मकसूदन लाल चन्द्राकर जी, स्वर्गीय अमीन साय जी, स्वर्गीय अग्नि चन्द्राकर जी, स्वर्गीय अंतुराम कश्यप जी का निधन हुआ, मैं इन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इन सभी में से मुझे सिर्फ अग्नि चन्द्राकर जी के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ । जब वे अपने क्षेत्र के संदर्भ में कुछ विषय रखते थे तो क्षेत्र के विषयों को लेकर ही अपनी बात रखते थे और प्रश्नों, ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में सक्रिय भी रहते थे । हमने इन नेताओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय अंतुराम कश्यप जी बस्तर क्षेत्र के बस्तर गांव के ही पुजारीपारा के रहने वाले थे, वहां उनका जन्म हुआ था । जब मैं पहली बार विधान सभा चुनाव लड़ा तो

मेरा सामना अंतुराम कश्यप जी से हुआ था । अंतुराम कश्यप जी 1993 से 98 और 98 से 2003 तक दो बार बड़ी जीत के साथ में विधान सभा में पहुंचे थे । उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वे बहुत गहराई से जनता से जुड़े हुए थे । यदि मैं क्षेत्र की बात करूं तो अंतुराम जी पुजारी, पटेल, सिरहा, गुनिया को बहुत ज्यादा मानते थे और उनको आगे करते थे । बहुत सारे विषयों पर हमारी चर्चा भी होती थी, हम बहुत सारे विषयों में उनका मार्गदर्शन भी लेते थे और बस्तर के लिए क्या अच्छा हो सकता है, उन विषयों को लेकर वे कई बार पक्ष और विपक्ष को किनारे करके सामने खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद करते थे । हमें उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा । आज इस अवसर पर सभी महान व्यक्तित्व को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । इस दुख की बेला में ईश्वर उन सभी के परिवारजनों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, ऐसी मैं कामना करता हूं ।

श्री कवासी लखमा (कोन्टा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले विधानसभा सत्र के बाद से आज तक 5 जनप्रतिनिधि हमारे बीच में नही रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सदन के नेता श्री भूपेश बघेल जी ने और सबने अपनी श्रद्धाजंलि व्यक्त की है। मैं भी उनके दु:ख मे शामिल होते अपनी ओर से श्रद्धाजंलि व्यक्त करता हूं। सभी पांचों दिवंगतों की आत्मा को शांति प्राप्त हो। जब मैं उस तरफ बैठता था तब हम साथ-साथ बैठते थे। जब-जब विधानसभा मे किसी विषय पर चर्चा होती थी, क्योंकि मैं कम पढ़ा-लिखा हूं, वह मुझे बता देते थे कि आप ऐसा-ऐसा बोलो, मुझे बढ़िया समझा देते थे। ऐसा व्यक्ति हमारे बीच नहीं होने से हमें दु:ख है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर से स्व. श्री अन्तूराम कश्यप जी हमारे बीच नहीं रहे। हमारे बस्तर मे बी.जे.पी. के सबसे ताकतवर नेता स्व. बलीराम कश्यप जी थे, उनको उन्होने दो बार हराया था। अभी मंत्री श्री केदार कश्यप जी के साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद मे उनके बेटे ने उनको हराया। वह एक शिक्षक, गुरूजी रहकर भी बस्तर में पुजारी पारा में रहते थे। मैं उनके पुजारी पारा स्थित आवास में गया था। दो-दो बार के विधायक होने के बाद भी उसी पुजारी पारा वाले पुराने मकान मे रहते थे, जहां उनके पिता बनवाकर रहते थे, अभी तक वहीं निवास करने वाले सीधे-सादे, सज्जन और बस्तर के आदिवासियों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति हमारे बीच नहीं होने के कारण पूरे बस्तर सम्भाग में खासकर हमारे काग्रेस पार्टी को बहुत क्षति हुई है। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि उस शोकाकुल परिवार को शान्ति प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्व. श्री मकसूदन लाल चन्द्राकर जी, स्व. श्री अमीन साय जी, स्व. लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी, स्व. अग्नि चन्द्राकर जी एव स्व. अन्तूराम कश्यप जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्व. लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी ने लगातार 3 बार खरसिया विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया। मुझे उनके साथ काम करने का लम्बा अनुभव है। स्व. लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी के

बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि मैं जब भी उनसे मिला तो उन्होंने मुझे एक पुत्र के रूप में या उसके समान उनसे प्रेम मिला। लेकिन आज वे इस दुनिया में नहीं हैं तो हम लोगों को उनकी कमी खलेगी, पूरे खरसिया विधानसभा क्षेत्र को खलेगी। मुझे लगता है कि सभी को उनकी कमी खलेगी। मैं पुन: एक बार फिर उनको इस विधानसभा के माध्यम से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को सुकून प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री लालजीत राठिया (धर्मजयगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधानसभा के पूर्व सदस्य स्व. श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी, स्व. श्री मकसूदन चन्द्राकर जी, स्व. श्री अग्नि चन्द्राकर जी, स्व. श्री अन्तूराम कश्यप जी एवं स्व. श्री अमीन साय जी के निधन पर मैं दु:ख व्यक्त करता हूं, साथ ही साथ भगवान उनके परिवारों को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्व. श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी मेरे पड़ोस के विधानसभा क्षेत्र खरसिया विधानसभा क्षेत्र का लगातार 3 बार नेतृत्व किया। जब वे लोक सेवा आयोग के सदस्य थे, तब मुझे उनके इन्दौर स्थित घर में रहने सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उनके सरंक्षण में रहने का अवसर मिला, उनका निरंतर आशीर्वाद मिलता रहा है। उनके साथ हमारा पारिवारिक सम्बन्ध रहा। मैं उनके निधन पर बहुत शोक व्यक्त करता हूं और सभी दिवंगत सदस्यों के प्रति अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों के सम्मान में सदन कुछ देर मौन धारण करेगा।

(**सदन द्वारा दो मिनट खड़े रहकर मौन धारण गया**)

अध्यक्ष महोदय :- दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(11.36 से 11.45 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
11.45 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत, संसद सदस्य, लोक सभा एवं श्री टी.एस. सिंहदेव, पूर्व उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

अध्यक्ष महोदय :- अध्यक्षीय दीर्घा में श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत, संसद सदस्य, लोक सभा, श्री टी.एस. सिंहदेव, पूर्व उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वनभूमि पट्टा हेतु फर्जी दस्तावेज बनाने की शिकायत

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

1. (*क्र. 77) श्री जनक ध्रुव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत शोभा में वन भूमि पट्टा हेतु दस्तावेजों में सरपंच एवं सचिव के फर्जी हस्ताक्षर एवं सील का उपयोग कर वन भूमि पट्टा के फर्जी मांग पत्र तैयार किए गए, जिसकी शिकायत पूर्व सरपंच द्वारा जिला कलेक्टर को लिखित में करते हुए आरोपियों पर एफ.आई.आर. दर्ज करने की मांग की गई थी ? **(ख)** क्या उक्त शिकायत का प्रकरण टी एल क्रमांक 1409, दिनांक 09/05/2021 में दर्ज है? दर्ज प्रकरण में की गई कार्यवाही से अवगत कराते हुए एफ.आई.आर. कब तक कर दी जाएगी?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) वन भूमि पट्टा हेतु फर्जी मांग पत्र तैयार करने संबंधी प्राप्त शिकायत पर एफ.आई.आर. दर्ज करने की मांग की गयी थी। **(ख)** दर्ज था। प्राप्त शिकायत पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति गरियाबंद द्वारा परीक्षणोपरांत श्री संजय नेताम एवं श्रीमती अनिता नेताम द्वारा किसी प्रकार का दावा आवेदन नहीं करने के कारण प्रकरण निरस्त किया गया है। अतः एफ.आई.आर. दर्ज करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत शोभा में वन भूमि पट्टा हेतु दस्तावेजों में सरपंच एवं सचिव के फर्जी हस्ताक्षर एवं सील का उपयोग कर वन भूमि पट्टा के फर्जी मांग पत्र तैयार किए गए, जिसकी शिकायत पूर्व सरपंच द्वारा जिला कलेक्टर को लिखित में करते हुए आरोपियों पर एफ.आई.आर. दर्ज करने की मांग की गई थी ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गरियाबंद जिला के मैनपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत शोभा में सरपंच और सचिव के फर्जी हस्ताक्षर और सील लगाकर वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने की शिकायत कलेक्टर को प्राप्त हुई थी। कलेक्टर द्वारा इसकी जांच का निर्देश गरियाबंद जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास और अनुभागीय अधिकारी, राजस्व, मैनपुर को सौंपा गया था। कलेक्टर के निर्देश पर अनुभागीय अधिकारी और सहायक आयुक्त, गरियाबंद के द्वारा इसकी जांच की गयी और जांच में यह पाया गया कि जिसके नाम से शिकायत की गई है, संजय नेताम, पिता-श्री जोहार नेताम एवं श्रीमती अनिता नेताम, पति-संजय नेताम के द्वारा वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने का किसी तरह का कोई आवेदन नहीं दिया गया था। इसका प्रतिवेदन बनाकर जिला कलेक्टर को भेजा गया और इस आरोप

और शिकायत को निराधार पाते हुए कलेक्टर के द्वारा दिनांक 21.07.2022 को समय-सीमा में विलोपित कर दिया। इसमें आगे एफ.आई.आर. करने की कोई कार्रवाई नहीं बनती है।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 6 सदस्यीय अनुभागीय समिति द्वारा दिनांक 08.03.2018 को अनुमोदन पश्चात् उसको जिला समिति को भेजा गया है, जिसमें दावा का पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत होता है। साथ ही साथ उस दावा में बिट गार्ड, रेंजर, पटवारी और वन समिति के हस्ताक्षर पाये जाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब तात्कालिक अनुभागीय अधिकारी, देवभोग द्वारा पत्र क्रमांक-865, दिनांक-11.07.2019 को पूर्व सरपंच और पूर्व सचिव के नाम से पंचायती राज अधिनियम-1993 की धारा-40 के तहत कार्रवाई की मांग करते हैं। जब संबंधित के नाम से दावा नहीं है तो तात्कालिक अनुभागीय अधिकारी द्वारा संबंधित पंचायत के सचिव और सरपंच को इस प्रकार से नोटिस क्यों किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। मंत्री जी, आप बता दीजिए कि नोटिस क्यों किया जाता है ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरपंच जमुना बाई और सचिव समारू राम ध्रुव के द्वारा फर्जी सील और हस्ताक्षर करके वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने की शिकायत की गई थी। इस शिकायत की जांच सहायक आयुक्त और अनुभागीय अधिकारी, राजस्व के द्वारा की गयी। वन अधिकार पट्टा देने के लिए अनुभाग की ग्राम वन अधिकार समिति और जिले की 3 समितियां होती हैं । जब वहां पर टीम गई और जांच की तो संजय नेताम एवं उनकी पत्नी अनिता नेताम के नाम से वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने का कोई आवेदन ही नहीं था और उनके द्वारा स्वयं दिया गया है कि किसी प्रकार के पट्टे का आवेदन नहीं दिया गया है तो यहां पर इनकी शिकायत और आरोप को निराधार मानते हुए कलेक्टर ने टी.एल. की बैठक में इस शिकायत को विलोपित कर दिया है।

श्री जनक ध्रुव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो इस प्रकार से विलोपित किया गया है, उसके संबंध में मेरे पास दस्तावेज हैं।संबंधित का दावा पत्र है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो अनुमोदन किया गया है, उसकी कापी है, संबंधित पंचायत के सरपंच और सचिव को जो नोटिश किया गया है, उसकी भी कापी मेरे पास उपलब्ध है। जो पात्र नहीं हैं, ऐसे लोगों का कूटरचित ढ़ंग से सैकड़ों एकड़ वन भूमि का पट्टा बनाया गया है एवं जो पात्रता रखते हैं, ऐसे भोले-भाले हितग्राहियों को वर्ष 2019 से लेकर आज तक वन पट्टा नहीं मिल पाया है।अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पर समिति के या जो भी दोषी लोग हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे।

श्री टंक राम वर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय,यह जो अवधि है, कॉग्रेस पार्टी के कार्यकाल की है। यदि आपके पास कुछ है, तो उसे दीजिएगा, हम उसका परीक्षण करेंगे और फिर आगे हम उसे प्रक्रिया में लेंगे।

श्री जनक ध्रुव : माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं बताना चाहूंगा कि ये कार्यकाल पिछले भारतीय जनता पार्टी शासनकाल का है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। यदि आपके पास कुछ और तथ्य है, तो उसे कृपया मंत्री जी को प्रेषित कर देंगे, उसे वह दिखवा लेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है।

श्री जनक ध्रुव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी जानकारी इस सदन में दी गई है, उसमें वे लोग मंत्री जी के माध्यम से सदन को गुमराह कर रहे हैं, मंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति बनाकर पुन: जांच की मांग करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- आप अपने तथ्य दे दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी बात कही और माननीय मंत्री जी ने भी उत्तर दिया, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि यह वर्ष 2018 का प्रकरण है। वर्ष 2018 के दिसंबर माह में हमारी सरकार (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार की ओर इशारा) बनी थी एवं उसके पहले आपकी सरकार थी। दूसरी बात, सरकार चाहे किसी की भी हो, जो शिकायत मिली, जब ग्राम वन समिति ने प्रस्ताव कर लिया, एस.डी.एम. स्तर की समिति ने उस प्रकरण को देखा और उसके बाद जिला स्तर पर गया, उसके बाद भी इसमें कार्रवाई नहीं होना, तो माननीय सदस्य की सीधी-सीधी मांग है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी हो, क्या उस पर कार्रवाई करेंगे एवं क्या इस बात की आप घोषणा करेंगे?

श्री टंक राम वर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास जो भी जानकारी है, वह जानकारी आप मुझे दीजिएगा, उसका परीक्षण करेंगे और आगे उसमें हम लोग प्रक्रिया करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :-आप बता दीजिए। ठीक है, हो गया। उन्होंने बोल दिया है, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। श्री मोतीलाल साहू।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस, एक ही प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- इतना साफ जवाब आ गया है भाई। मंत्री और क्या बोलेंगे?

श्री जनक ध्रुव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन से मांग करता हूं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फर्जी साइन का मामला है। अधिकारियों के द्वारा इन लोगों से जबरदस्ती मांग पत्र को वापस लिवाया गया है। जब फर्जी साइन की शिकायत है, तो यह जांच होनी चाहिए कि फर्जी साइन हुआ या नहीं हुआ। आप उस मांग पत्र को जबरदस्ती वापस करा रहे हैं। आपके पास सारे दस्तावेज हैं, आपको इसे मांगने की जरुरत ही नहीं है। आप इस सदन में घोषणा कर दीजिए कि इसमें जांच होगी और माननीय सदस्य की उपस्थिति में जांच होगी। बात खत्म हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय :- ये स्पेशिफिक प्रश्न है किगरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत शोभा में वन भूमि पट्टा देने हेतु दस्तावेज। यह स्पेशिफिक है, जिसमें मंत्री जी ने कहा है कि आपके पास जो भी अतिरिक्त जानकारी है, उसे उनको उपलब्ध करा दें, वह जांच कर लेंगे। इससे ज्यादा विधान सभा में और साफ उत्तर नहीं हो सकता।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला यह है कि फर्जी साइन और सील लगी है। आपने मांग पत्र वापस कराया, तो आपने मांग पत्र वापस क्यों कराया?उसकी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लीजिए। जांच कराइए कि यह सही है या गलत है?अगर फर्जी साइन हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। उस पर पर्याप्त चर्चा हो गई।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह जरूरी नहीं है कि आप जैसा चाहेंगे, वैसा ही उत्तर आयेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, सभी मामलों में जांच हुई है तो इसमें भी सिर्फ जांच की घोषणा करने की बात है। मंत्री जी, जांच कराने का आदेश कर दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- आप बताईये कि फर्जी साईन हुआ है या नहीं ? यदि फर्जी साईन हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- यह आपका विषय नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, इसमें सम्मिलित सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, जबर्दस्ती मांग पत्र वापस करवा रहे हैं। बार-बार वहीं बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मोतीलाल जी, आप प्रश्न करिये।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें राज्य स्तरीय समिति का गठन करके इसकी जांच करा दीजिये, यही हमारी मांग है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, वह जांच के लिये बोल दिये हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>जिला रायपुर के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति</u>

[स्कूल शिक्षा]

2. (*क्र. 227) श्री मोतीलाल साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला - रायपुर के प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में मानक के आधार पर शिक्षकों के भरे एवं रिक्त पदों की वर्गवार पृथक-पृथक जानकारी

देवें ? **(ख)** उपरोक्त रिक्त पदों पर नियमित भर्ती हेतु शासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? रिक्त पदों पर भर्ती कब तक प्रारंभ की जावेगी? जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र[1] अनुसार है। **(ख)** पदोन्नति अंतर्गत भरे जाने वाले पदों में पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। सीधी भर्ती के रिक्त पदों में नियमित भर्ती हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न है। मेरा रायपुर जिले के शिक्षण संस्थाओं के विषय में प्रश्न था कि कितने शिक्षक कार्यरत् हैं और कितने पद रिक्त हैं ? उस विषय में जवाब आया है कि 7,939 पद में शिक्षक कार्यरत् हैं और 1,954 पद रिक्त हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में 90 प्राथमिक शालालों से लेकर हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं, जिसमें अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। इसमें कई स्कूल ऐसे हैं, जो शिक्षकविहीन है। जैसे मैं माना कैम्प के एक हिन्दी मीडियम स्कूल के बारे में कहना चाहूंगा, जहां पर छटवीं से आठवीं तक के लिए सिर्फ दो शिक्षकों की व्यवस्था हैं, जिसमें एक शिक्षक आरंग से आता है और एक शिक्षक टिकरापारा से आता है। लगभग सभी स्कूलों की ऐसी ही स्थिति हैं। वहीं पर हिन्दी मीडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल है, जिसमें नौवीं से लेकर बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए सिर्फ तीन शिक्षक हैं। इन कक्षाओं में विषयवार पाठ्यक्रम होते हैं और नौवीं से बारहवीं तक चार कक्षाएं होती हैं, जिनमें सिर्फ तीन शिक्षक हैं, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि पदों की भर्ती की जाना अति आवश्यक है और यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षण के कार्य में कहीं न कहीं जो गरीब बच्चे शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है कि यह रिक्त पद कब तक भरे जा सकते हैं ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके ?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं। देश में जो औसत है कि 26 विद्यार्थियों में 1 शिक्षक होना चाहिए, वहीं हमारे पूरे प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 21 विद्यार्थियों में एक शिक्षक है, फिर भी यहां पर शिक्षकों की कमी है और कुछ ऐसी व्यवस्था हुई है कि प्रदेश में करीब 300 शिक्षकविहीन स्कूल हैं और करीब साढ़े पांच हजार एक शिक्षकीय स्कूल हैं। इसके लिए युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया जारी किए हैं और युक्तियुक्तकरण से यह व्यवस्था दूर होगी और उसके बाद आगे शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद्।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- समय कम है, छोटा प्रश्न करिये।

[1] परिशिष्ट "एक"

श्री अजय चन्द्राकर :- एकदम छोटा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जारी है। यहां 300 स्कूलों में शिक्षक नहीं है और करीब 5 हजार स्कूलों में एक-एक शिक्षक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यह भी जानकारी दे दीजिए कि शहरी क्षेत्र में या प्रदेश में ऐसे कितने स्कूल हैं, जिसमें शिक्षकों की संख्या सरप्लस है ?

श्री विष्णु देव साय :- अध्यक्ष महोदय, इसकी exact जानकारी तो अभी नहीं है। आपको अलग से जानकारी उपलब्ध करा दी जायेगी। लेकिन यदि युक्तियुक्तकरण हो जायेगा तो बहुत हद तक जो शिक्षकों की कमी है, वह समस्या ठीक हो जायेगी। इसकी जानकारी यह है कि 7,500 स्कूल ऐसे हैं, जिसमें शिक्षकों की संख्या सरप्लस है।

अध्यक्ष महोदय :- वह जानकारी उपलब्ध करा दिये हैं। वह संतुष्ट हो गये हैं।

श्री भूपेश बघेल :- आपके पास जानकारी है तो दे दीजिए। अजय जी संतुष्ट हो गये ?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री सतत् प्रयत्नरत् हैं (मेजों की थपथपाहट)। आप पांच साल में व्यवस्था बिगाड़ के चले गये।

श्री उमेश पटेल :- आपके मंत्रियों का कैसा-कैसा जवाब आ रहा है, आप समझ रहे हैं ना।

विधान सभा क्षेत्र जगदलपुर में तेंदूपत्ता संग्राहकों को देय बीमा राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

3. (*क्र. 269) श्री किरण देव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहकों को बीमा का लाभ किन-किन योजनाओं के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है? कितनी-कितनी राशि योजना अंतर्गत देय है? योजनावार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** वर्ष 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक कितने संग्राहकों का बीमा दावा प्रकरण प्राप्त हुआ? कितनों को बीमा योजना का लाभ मिला? कितने प्रकरण लंबित हैं? लंबित प्रकरणों पर क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है? वर्षवार/विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहकों को देय बीमा लाभ का योजनावार राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना का नाम		देय राशि (रू.में)	
			आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक	आयु 51 वर्ष से 59 वर्ष तक
1.	सामाजिक सुरक्षा योजना			
	(i)	सामान्य मृत्यु की स्थिति में	2,00,000	30,000

	(ii)	दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में	4,00,000	75,000
	(iii)	स्थायी विकलांगता की स्थिति में	2,00,000	75,000
	(iv)	आंशिक विकलांगता की स्थिति में	1,00,000	37,500
2.	सामूहिक सुरक्षा योजना		आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक	12,000

(ख) वर्ष 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक जगदलपुर विधानसभा अंतर्गत तेन्दूपत्ता संग्राहकों के प्राप्त बीमा दावा प्रकरणों की कुल संख्या 17 है । सभी प्रकरणों में योजना का लाभ हितग्राही को दिया जा चुका है कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है । वर्षवार, विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र[2] अनुसार है।**

श्री किरण देव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय वन मंत्री जी से यह प्रश्न था कि जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहकों को किन-किन योजनाओं के तहत बीमा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है ? और कितनी-कितनी राशि योजना के अंतर्गत देय है ? इसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आया है। सामान्य मृत्यु की स्थिति में..।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

[2] परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय
12.00 बजे

फरवरी-मार्च, 2024 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों की मुद्रित प्रश्नोंत्तरी का पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय :- फरवरी-मार्च, 2024 सत्र का दिनांक 28 फरवरी, 2024 को सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 29 फरवरी, 2024 एवं 01 मार्च,2024 की मुद्रित प्रश्नोंत्तरी सचिव, विधान सभा, सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार फरवरी-मार्च, 2024 सत्र का दिनांक 28 मार्च, 2024 को सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 29 फरवरी, 2024 एवं 01 मार्च, 2024 की मुद्रित प्रश्नोंत्तरी सदन के पटल पर रखता हूँ।

समय
12.00 बजे

फरवरी-मार्च, 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय :- फरवरी-मार्च, 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा, सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार फरवरी-मार्च, 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन सदन के पटल रखता हूँ।

समय
12.01 बजे

नियम 267-क के अधीन फरवरी - मार्च, 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267-"क" के अधीन फरवरी-मार्च, 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा, सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं, नियम 267 "क" के अधीन फरवरी-मार्च, 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय
12.02 बजे **मानीनीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- षष्टम् विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2024 सत्र में पारित कुल 5 विधेयकों में से 4 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयक का विवरण सचिव, विधान सभा, सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- षष्टम् विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2024 सत्र में पारित कुल 5 विधेयकों में से 4 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयक नाम को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरीत किया जा रहा है।

समय
12.03 बजे **सभापति तालिका की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट करता हूँ :-

1. श्री विक्रम उसेण्डी
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. सुश्री लता उसेण्डी
4. श्री लखेश्वर बघेल
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री प्रबोध मिंज

समय
12.03 बजे **कार्यमंत्रणा समिति का तृतीय प्रतिवेदन**

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2024 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय का निर्धारण करने की सिफारिश की गई है, जो इस प्रकार है :-

1.	**वित्तीय कार्य**	**निर्धारित समय**
	वित्तीय वर्ष 2024-2025 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा,	3 घंटे

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन विचार एवं पारण

2. **शासकीय विधि विषयक कार्य**

(1) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 45 मिनट

(2) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 45 मिनट

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके संबंध में श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि - सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता, सदन के सभी माननीय सदस्यों के नेता होते हैं, अभी अपने कुछ प्रिय साथियों के साथ अयोध्या में रामलला जी का दर्शन करके आये हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। यदि आप अनुमति दें तो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है कि जो अयोध्या से या पुण्य स्थलों से दर्शन करके आते थे, उनको कुछ भेंट करते हैं। मैं उनको भेंट करने के लिए नारियल और धोती लाया हूं। मगर यहां आपकी अनुमति के बगैर मैं उन्हें नहीं दे सकता। आप कहें तो मैं उन्हें यह भेंट कर दूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप कक्ष में चले जाईये और भेंट कर दीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- कक्ष में जाकर भेंट कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार रामलला जी की कृपा से बनी है। यह रामलला जी के दर्शन करने के लिए चले गये। सदन के सभी साथियों की यह अपेक्षा थी कि यदि मुख्यमंत्री जी अयोध्या दर्शन करने के लिये गये थे तो हम लोगों को भी दर्शन करने के लिए लेकर जाते। मगर आप अकेले दर्शन करने के लिए चले गये। हमारे बहुत सारे साथी दर्शन करना चाहते हैं। तो अगली आप सबको राललला जी के दर्शन करने के लिए प्लेन से लेकर जायें। क्योंकि हम लोगों को भी वह गीत गाना आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात की बडी चर्चा है कि इन्होंने रामलला जी को भेंट करने के लिए शिवरीनारायण से बेर की पोटली मंगाकर ले गये थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बेर का मौसम है? क्या शिवरीनारायण में बेर मिली होगी? शिवरीनारायण में न बेर मिली, न रायपुर के बाजार में बेर मिली, मैं यह जानना चाहता हूं कि फिर यह रामलला जी को किस बेर को चढ़ाकर आये हैं?

श्री रामकुमार यादव :- भगवान भी परेशान हे।

डॉ. चरणदास महंत :- हमको, छत्तीसगढ़ के लोगों को, गरीबों को, आदिवासियों को आप कुछ भी बना दें, कैसे भी बना दें, हम मान जायेंगे, मगर आप भगवान भी इसी तरह व्यवहार करेंगे तो कैसे काम चलेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवरीनारायण के नाम से..।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस संबंध में शून्यकाल में बोल रहे हैं तो क्या आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की अयोध्या यात्रा की चर्चा में कोई नोटिस दिया है ? शून्यकाल में उसी विषय को उठाते हैं जिस पर हमने नोटिस दी हो। क्या आपने इस संबंध में कोई नोटिस दी है क्या ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से बोल रहे हैं न।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से बोल रहा हूं। मैंने नोटिस दे दिया था। अभी इसकी जरूरत नहीं है, नोटिस वाले विषय पर आ रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो शून्यकाल की चर्चा नहीं हो रही है, मजाक हो रहा है।

डॉ. चरणदास महंत :- यह मजाक नहीं है, शून्यकाल में बोल सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस प्रकार की चर्चा करके मजाक ही हो रहा है।

डॉ. चरणदास महंत :- हम शून्यकाल में बोल सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जमाने में विश्व हिन्दू परिषद नें रामचन्द्र जी के जहां-जहां चरण पड़े थे, 75 स्थान चिन्हित किया था। जब हमारी सरकार आई तो हमने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 10 स्थानों को बनाना शुरू किया। हरचौका से लेकर रामाराव तक बनाना शुरू किया। मैं रामभक्तों से पूछ सकता हूं कि क्या इन 07 महीनों में आप लोगों ने उन स्थानों पर एक ईंट भी रखी है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप शून्यकाल में जानकारी दे दीजिए, बाकी विषय पर चर्चा होगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह स्थगन पर चर्चा कर रहे हैं ?

डॉ. चरणदास महंत :- स्थगन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, स्थगन तो आयेगा। अभी भूपेश बघेल जी स्थगन की चर्चा उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- इससे ज्यादा जरूरत नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शून्यकाल का विषय नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन हेतु नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- यह शून्यकाल का विषय थोड़ी है।

डॉ. चरणदास महंत :- यह विषय क्यों नहीं है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने शून्यकाल में चर्चा के लिए किसी चीज की नोटिस दी हो तो उस पर चर्चा कीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या से रामलला जी का दर्शन करके आये हैं, उनको धन्यवाद, बधाई देने का विषय नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- बिल्कुल है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद दिया जा सकता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप तो बोल रहे हैं कि पूछ रहा हूं। आप रामवनगमन पथ में चले गये। आप अधोध्या यात्रा में कहां बोल रहे हैं ?

डॉ. चरणदास महंत :- राम के बारे में ही चर्चा हो रही है। .. (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अयोध्या हारने के बाद यह लोग राम जी के नाम से बहुत विचलित हो गये हैं। .. (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- आदरणीय, आपको राम के प्रति धन्यवाद दे रहे हैं, मैं आपको भी, छत्तीसगढ़ की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि 11 में से 10 सीट राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को दी। आपको जनता ने नकार दिया। अब क्या बचा ?

डॉ. चरणदास महंत :- जी।

श्री रामकुमार यादव :- अयोध्या में आपला कैसे करे हो, तेला नई जानत हव।

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय, आपसे ही कहना चाह रहा हूं कि आप अभी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपको भगवान राम के दर्शन कराने के लिए प्रस्ताव रख रहे हैं, क्या आपने यह प्रस्ताव राहुल गांधी से पूछकर रखे हैं या बिना पूछे रखे हैं ? क्योंकि वह अयोध्या जाना पसंद नहीं करते हैं। क्या आप लोगों में हिम्मत है कि बिना उनकी आज्ञा के दर्शन करने के लिए चले जायेंगे ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, कोई भी बता बताया जाये। वास्तव में चढ़ाये हैं या नहीं चढ़ाये हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि आप लोग इसी तरीके से बातों को गलत दिशा में ले जाते हैं इसीलिए आप लोग अयोध्या हारे हैं, बद्रीनाथ हारे हैं, चित्रकूट हारे हैं, सीतापुर हारे हैं, प्रयागराज हारे हैं, नासिक हारे हैं और रामेश्वर हारे हैं।

श्री राजेश मूणत :- लेकिन आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने तो अच्छा आईना दिखाया है। आप छत्तीसगढ़ की बात करिये न। आपको छत्तीसगढ़ की 11 सीट में 01 सीट मिली है। भरोसा खत्म हो गया, विश्वास टूट गया। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में क्या चर्चा हो रही है, किस विषय पर चर्चा हो रही है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपकी सरकार का 400 सीट का नारा था। आप लोग आधे सीट में सिमट गये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- भैया, 400 सीट का भी नारा था। आज उत्तर प्रदेश में भा.ज.पा. की क्या स्थिति है, यह पूरे देश की जनता देख रही है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप 400 का नारा बता दीजिए कि आप लोग आधे सीट में क्यों सिमट गये?

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपके ही नेतृत्व में एक बार पूरा विधायक दल गया था।

श्री कवासी लखमा :- हम लोग भी गये थे, उसको भी बता दीजिए । डॉ. रमन सिंह जी की सरकार में हम लोग भी परिवार के साथ हरिद्वार गये थे। मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ आप लोगों को क्यों नहीं ले गये? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, वह बता दें कि 400 का नारा का क्या हुआ? आप लोगों ने 400 सीट पार करने की बात की थी।

श्री कवासी लखमा :- डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो हम लोग परिवार के साथ हरिद्वार गये थे। मैं भी था और आप भी थे । आप वहां नहीं गये। मुख्यमंत्री रहते तब भी हम जाते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- कवासी जी, हो गया।

श्री राजेश मूणत :- आगरा और हरिद्वार में कांग्रेस पार्टी आ गयी थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, हो गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप भी शून्यकाल की सीमा को जानते हैं और आप अपनी बात को समाप्त करें, बाकी सदस्य इस शून्यकाल में कुछ बोलेंगे।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, जी। मैं समाप्त करता हूं। यह मोदी जी की गारंटी की सरकार है। यह तो हम कह सकते हैं न?

अध्यक्ष महोदय :- यह शून्यकाल का विषय नहीं है।

डॉ. चरण दास महंत :- मोदी जी ने अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक श्रीराम सर्किट बनाने का निर्णय लिया है, उस सर्किट में छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है। (शेम-शेम की आवाज) उसको कम से कम आप जाकर जोड़वा दें, आपसे इतना ही निवेदन है। धन्यवाद्।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने विपक्ष के द्वारा स्थगन की सूचना दी है। बलौदाबाजार में 10 तारीख को जो हिंसा की घटना हुई, विष्णु देव सरकार के सुशासन की कलई खुल गई। जो सूचना तंत्र है, वह पूरी तरह से विफल हो गई।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री भूपेश बघेल :- भैया, अभी तो मैं शून्यकाल पर बात कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है क्या? प्रश्नकाल में ही व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता, प्रश्नकाल के बाद हर समय व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है।

श्री दिलीप लहरिया :- चन्द्राकर जी, आप उनको पहले बोलने दीजिये, फिर आप व्यवस्था का प्रश्न लीजिये न। आप सब चीज में टांग लड़ाते हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप तो बोलना शुरू कर दिए। आप विपक्ष को बोलने तो दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसी विषय पर ही व्यवस्था का प्रश्न है, यदि चर्चा शुरू हो जाएगी तो क्या मतलब होगा?

श्री रामकुमार यादव :- पूरा छत्तीसगढ़ के व्यवस्था ला बिगाड़ के व्यवस्था के व्यवस्था कइथस। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बलौदाबाजार की जिस घटना पर स्थगन ला रहे हैं या यह स्थगन की चर्चा शुरू हुई है, जिस दिन भी वह घटना घटी। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। मैंने खाद्य विभाग पर एक प्रश्न पूछा था। आप आसंदी पर थे। यहां तत्कालीन मंत्री श्री अमरजीत भगत बैठते थे, उनको मैंने कह दिया कि यह मामला न्यायालय में लंबित है, इस पर प्रश्न नहीं हो सकता है, मुझे आपने प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी। 9 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी ने इसकी न्यायिक जांच की घोषणा कर दी। 10 तारीख को घटना घटी, उसके बाद घोषणा के अतिरिक्त वहां न्यायिक जांच शुरू हो गई। न्यायिक आयोग अपना काम कर रहा है। स्थगन पर चर्चा करने से क्या न्यायिक आयोग के कार्य प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? उसको न्यायिक कार्य माना जाये या नहीं माना जाये और यदि न्यायिक जांच चल रही है तो क्या स्थगन पर चर्चा हो सकती है? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इस पर कोई व्यवस्था दें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कुछ फैसला दें, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि माननीय अजय जी बहुत विद्वान सदस्य हैं। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम संबंधी जो पुस्तक है, उसमें जो स्थगन लिया गया है, उसमें भी यह प्रावधान है और अध्यक्ष के स्थायी आदेश में भी इसकी व्यवस्था है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय भूपेश जी, चूंकि आप नियम-प्रक्रिया का उल्लेख कर रहे हैं। मैंने पूछा है, आप मेरी व्यवस्था को देख लीजिये। स्थगन में कॉलम 07 को पढ़ लीजिये। प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा जो प्रदेश के किसी भाग के क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अंतर्गत हो और इसीलिये मैंने कहा कि न्याय आयोग न्यायिक प्रक्रिया मानी जायेगी

कि नहीं मानी जायेगी ? और इसलिये उस पर चर्चा हो सकती है कि नहीं हो सकती है ? इसमें स्पष्ट लिखा है ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न्याय आयोग को जिन बिंदुओं पर चर्चा के लिये बताया गया है अगर उसके अलावा कोई बिंदु होता तो उसमें चर्चा हो सकती है ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संसदीय संविधान में कौल एण्ड शकधर की किताब का उदाहरण दिया जाता है । इसमें साफ-साफ लिखा है कि जब सरकार संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असफल रही हो और लिख रहे हैं कि कानून तथा व्यवस्था या राज्य के किसी अन्य विषय से संबंधित यदि स्थगन प्रस्ताव हो तो ऐसे प्रस्ताव को आप स्वीकार कर सकते हैं, इस पर चर्चा हो सकती है ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप जो पढ़ रहे हैं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं । मैंने दूसरी बात उठायी है और आप दूसरी बात पढ़ रहे हैं । मेरी बात को शायद भूपेश बघेल जी ने अच्छे से समझा है । आप जो बोल रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं कि उसमें स्थगन आ सकता है । मैंने यह कहा है कि न्यायिक जांच चल रही है, वह न्यायिक प्रक्रिया है कि नहीं है ? स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी कि नहीं होगी ? और यदि प्रभावित होगी तो क्या उसको स्वीकार किया जाना चाहिए ? और इसलिये मेरा आग्रह है कि मेरे दृष्टिकोण में यह स्थगन चूंकि न्यायिक जांच हो रही है इसलिये स्वीकार करने योग्य नहीं है ।

श्री दिलीप लहरिया :- यह इस प्रदेश का गंभीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, पहले व्यवस्था सुन लीजिये । अभी स्थापित प्रक्रिया के अनुसार स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के विचार सुन रहा हूं । मेरे द्वारा स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर निर्णय नहीं लिया गया है इसलिये आपकी आपत्ति अमान्य है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपत्ति नहीं ली है । (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- आप इस चर्चा को बाधित कर रहे हैं । (व्यवधान) आपने ऐसे भी समाज को गुमराह किया हुआ है । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी केवल चर्चा हो रही है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई आपत्ति नहीं ली है । आप जिस विषय पर चर्चा शुरू करवायेंगे या आप विचार सुनेंगे । मेरा यह कहना है कि वह न्यायिक प्रक्रिया के तहत् है । मैंने आपत्ति नहीं ली है । चूंकि वह न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है कि नहीं है, मैंने आपसे इसमें व्यवस्था चाही है । न्यायिक प्रक्रिया के तहत् उसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय न्यायधीश जांच कर रहे हैं, वह जांच चल रही है ।

श्री विक्रम मण्डावी :- अजय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था आ गयी है । उसके बाद भी आप बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- सुन लीजिये । आराम से बात को सुन लीजिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिये । मैंने उस प्रक्रिया पर प्रश्न किया है कि जिसमें न्यायिक जांच चल रही है उसको स्थगन के तौर पर लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है ? यह उसी प्रक्रिया के अंतर्गत है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धर्मजीत जी कुछ बोल रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायिक जांच की घोषणा होने के बाद उसका कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है और इसलिये ऐसी कोई भी बात हम यहां इस सदन में नहीं कर सकते जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करे या उसके ऊपर कोई आरोप लगे या उसकी सीमा रेखा को हम टच करें । मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट आयेगी, उस दिन आप उस रिपोर्ट के आधार पर चर्चा करा लीजियेगा । जो दोषी अधिकारी होंगे वह दंडित किये जायेंगे, जो लोग उसमें अपराधी शामिल हुये होंगे वे लोग दंडित किये जायेंगे । अभी से इस बात की चर्चा करके वातावरण को भी विषाक्त होने से बचाईये और न्यायालय के कार्यक्षेत्र में उल्लंघन करने का प्रयास न किया जाये । सदन की पुरानी परम्परा और उदाहरण के अनुसार आप उस पर विचार कीजिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री जी के द्वारा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एकल पीठ के द्वारा जांच की घोषणा की गयी है इसलिये इसको माना जायेगा । चूंकि जैसे कोर्ट के द्वारा जांच की जाती है उसी संदर्भ में उसको माना जायेगा, उसी संदर्भ में उसकी मान्यता होगी और कंडिका-7 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि कोर्ट में कोई मामला लंबित है उस स्थिति में उसकी चर्चा नहीं हो सकती । कहीं न कहीं वह बाधित होगी । उसका जो निराकरण होना है और इसलिये जब एकल न्यायाधीश के द्वारा उसमें किया गया है तो हम इसको उस श्रेणी में मानते हैं और जब श्रेणी में मानते हैं तो उस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती इसलिये इस सदन में इस पर चर्चा नहीं होगी । उसकी जांच होगी और जांच के बाद जो निष्कर्ष आयेंगे और सदन में यहां रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । प्रस्तुत होने के बाद उसमें चर्चा की जायेगी ।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्य अजय चंद्राकर जी, धर्मजीत जी, धरम लाल कौशिक जी ने मामला उठाया और 55 (क) के तहत आपने मांग की, लेकिन उसमें उसके आगे तो आपने बता दिया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, उसके बाद और दूसरे पैरे में देखेंगे । परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय पर प्रकरण से संबंधित हो। यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाए तो संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषयक के विचार किए

जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा स्थगन इस बलौदाबाजार के collectorate को जलाये जाने से संबंधित है। जो स्थगन है वह बलौदाबाजार से संबंधित है और अध्यक्ष महोदय, आपने 13 जून को जो राजपत्र में प्रकाशित किया है, इसमें जांच के जो बिंदु हैं, मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। दिनांक 15/05/2024 और 16/05/2024 के मध्य रात्रि को जिला बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम महकोनी अमर गुफा में स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त किए जाने संबंधित घटना कैसे घटित हुई और महकोनी में जो घटना घटी, उस तक ये जांच आयोग सीमित है और हमारा जो स्थगन है, उस घटना के बाद जो आंदोलन हुए और जो आग लगी, आगजनी हुई और जिसमें collectorate का भी नुकसान हुआ, एस.पी. कार्यालय का भी नुकसान हुआ और आबकारी कार्यालय जले और उसके बाद जो तोड़-फोड़ हुई, उस पर हमारा स्थगन है। अध्यक्ष महोदय, तो ये वैसे भी प्रभावित नहीं होता और इसके पहले भी अनेक उदाहरण इसी सदन में हैं, जिसमें आसंदी ने अनुमति दी है। चाहे न्यायिक हो, चाहे अर्धन्यायिक हो, इन प्रकरणों में आसंदी से अनुमति मिलती रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पैरा हमारे नियम प्रक्रिया के विषय में माननीय भूपेश बघेल जी ने पढ़ा, वह बिल्कुल सही है, पर यह अध्यक्ष के विवेक पर है। एक बात कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब उन्होंने दूसरी बात कही कि जो घटना घटी है, उस पर हम नहीं कर रहे हैं। जो collectorate ऑफिस और एस.पी. ऑफिस जले हैं, उस पर हम स्थगन लाए हैं या उन्होंने ध्यान आकर्षण कहा? या उन्होंने जो भी लाया है..।

श्री भूपेश बघेल :- भाई, हमने स्थगन लाया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो भी । अब मेरी जो आपत्ति है, वह ये है कि collectorate जली क्यों? उस घटना के लिए विरोध दर्ज करने और उस घटना के पृष्ठभूमि पर ही ये घटना घटी और जब भी कोई आदमी उसमें भाषण करेगा या अपने विचार रखेगा तो वो घटना आएगी ही आएगी। जैतखाम या अमर गुफा को जलाने की, काटने की, तोड़ने की जो घटना है, वह आएगी ही आएगी अब उसके अतिरिक्त मेरे पास जो जानकारी और तथ्य हैं, उसमें जो नोटिफिकेशन हुआ है, वह कौन सा है, मैं नहीं जानता। मेरे पास जो तथ्य हैं। घटना के पूर्व, घटना के दौरान एवं घटना के उपरांत ऐसे मुद्दे जो घटना से संबंधित हों, ये भी जांच के विषय हैं, जो न्यायिक जांच कर रही है। इसलिए उसको न्यायिक प्रक्रिया मानते हुए इस स्थगन में कोई चर्चा न कराई जाए। उससे हमारी विधान सभा की जो परंपरा है, जो कई समय से हैं। मैंने अपना उदाहरण दिया। आप अध्यक्ष थे। मुझे प्रश्न करने नहीं दिया कि ये न्यायालय में लंबित है। जबकि वह आज तक सूचीबद्ध नहीं हुआ है तो इसलिए हमारी विधान सभा की परंपरा को ध्यान में

रखते हुए इस पर कोई चर्चा न कराई जाए। ये मेरे पास जो कागज़ है, यदि अवलोकन के लिए चाहें तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी दे सकता हूं। इसलिए आपने जो कहा कि मैंने आपत्ति ली, मैंने आपत्ति नहीं ली है। मैंने इसमें विचार कहा, व्यवस्था चाही है और व्यवस्था यही है कि जब न्याय प्रक्रिया चल रही है तो स्थगन स्वीकार नहीं किये जा सकते।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी सदन में जब झीरम घाटी आयोग का गठन हुआ था, तब भी यहां पर चर्चा हुई थी। नसबंदी कांड में भी आयोग का गठन हुआ था, तब भी सदन में चर्चा हुई थी तो फिर बलौदाबाजार कांड की चर्चा सदन में क्यों नहीं हो सकती?

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन सा आयोग गठित हुआ था, जिसमें न्यायिक जांच हुई थी। न्यायिक जांच आयोग गठित होने के बाद झीरम पर चर्चा हुई थी, आप क्या बात करते हैं? नहीं, झीरम पर न्यायिक जांच के बाद कभी भी इस सदन में चर्चा नहीं हुई।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय चंद्राकर जी जो आपत्ति लगा रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये ग्राह्यता पर चर्चा हो रही हैं? अभी तो ग्राह्यता पर चर्चा ही नहीं हो रही। आपने स्वीकार किया ही नहीं है। अभी तो हम लोग अपने विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं..।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट।

श्री उमेश पटेल :- एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में चर्चा कराई जाए या न कराई जाए, यह माननीय अध्यक्ष जी के स्व-विवेक पर निर्भर करता है । उन्होंने अपनी व्यवस्था आपको बता दी है उसके बाद भी इस तरह की चर्चा करने की क्या जरूरत है ? अध्यक्ष जी की अनुमति से यह चर्चा हो रही है । उसके बाद आप आपत्ति लगा रहे हैं। आपने जो व्यवस्था दी है उसके तहत् हमको चर्चा करने दी जाए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं जब विधान सभा में लेजिसलेशन होता है । आपने आपत्ति निरस्त की जाती है, ऐसा कहा। मैंने आपत्ति नहीं ली, इस पर आपका ध्यान आकर्षित किया । रहा सवाल जो माननीय उमेश पटेल जी ने कहा कि ग्राह्यता या अग्राह्ता पर चर्चा का तो विषय ही नहीं है । आपने जब बलौदाबाजार के विषय में बोलना शुरू किया, तब मैंने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर लिया कि यह विषय रिकॉर्ड में नहीं आ सकता । इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसमें न्यायिक जांच चल रही है । न्यायिक जांच हो रही है वे काम शुरू कर चुके हैं । उसको न्यायिक प्रक्रिया मानी जानी चाहिए । न्यायिक प्रक्रिया मानते हैं तो उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती, यह विधान सभा के दृष्टांत में है । इसलिए इसमें ग्राह्यता/अग्राह्तया छोड़कर किसी भी तरह की चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री द्वरिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे चुके हैं। आपने हमारी बातों को सुनने की व्यवस्था दे दी है इसलिए इसको आगे बढ़ाया जाए।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आजादी के 75 साल हो गए हैं इसलिए अमृतकाल चला रहे हैं और 200 साल अंग्रेजों ने भी राज किया लेकिन कभी भी कलेक्टर और एस.पी.कार्यालय नहीं जले रहिस हे । उतके बड़े घटना घट गे हे अउ ओखर बावजूद भी चर्चा नइ करना चाहत हौ तो आने वाला पीढ़ी ला तुमन का बताहू, एखर ने भगना नइ चाहिए । कानून-कायदा ला टार कर बड़े दिल करके चर्चा करना चाहिए ताकि भविष्य में, इतिहास में ये न लिखावय के अजय चंद्राकर एमा चर्चा नइ होन दिस । एखर खातिर निवेदन हे कि बड़े दिल करके एमा चर्चा होय ताकि भविष्य में अइसन झन होए । अध्यक्ष महोदय, आप मुख्यमंत्री रहे हौ । एमा विचार करके चर्चा करवाव ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भूपेश बघेल जी ने जो दृष्टांत दिया । जब भी इस पर चर्चा की शुरूआत होगी तो वहीं से होगी जहां से अधिसूचना जारी हुई, राजपत्र में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष जी जहां तक अनुमति देंगे वहीं तक चर्चा होगी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम यह कैसे कह सकते हैं कि वह विषय अलग है और यह विषय अलग है । बाद में जो भी घटनाक्रम हुआ है उससे संबंधित है और उसी के तारतम्य में है । आप यह मानकर चलिए कि इस बात को बार-बार दोहराया जाएगा । इसीलिए आयोग का गठन किया गया है कि उसके द्वारा जांच की जाएगी। सम्पूर्ण तथ्यों की जांच होगी और निश्चित रूप से जांच के प्रभावित होने की संभावना है । यह तो स्थगन के दृष्टांत में दिया हुआ है कि जो विषय जांच को प्रभावित करे ऐसे विषय पर चर्चा नहीं कराई जाए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि यह नई नजीर बनेगी । इसलिए हमारी महान परम्पराओं को और इस विधान सभा की महान परम्पराओं को देखिए । कांग्रेस पक्ष को यदि किसी तरह के सुझाव देने हैं तो मैं तो सत्ता पक्ष से आग्रह करूंगा कि कोई बिंदु छूटा हो तो इनके बिंदुओं को भी जांच में शामिल कर लें । उसके बाद उसमें पूरी तरह से जांच हो । क्योंकि इंडेफिनिट जांच नहीं होगी । छत्तीसगढ़ की विधान सभा में नई परम्परा स्थापित हो कि आपके पास कोई जांच के बिंदु हों तो शासन को दे दें लेकिन चर्चा करने से हमारी परम्परा टूटेगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस पर कोई व्यवस्था दें ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो इसमें कई पहलू हैं । जिस दिन यह घटना हुई, उसके बाद उसका स्वरूप बदला, आंदोलन के स्वरूप में वे कलेक्टर ऑफिस गए, वहां आगजनी हुई और उसके बाद जो पुलिस का रवैया है, ये सारे विषय हैं । जांच आयोग के समक्ष अलग बिंदु है और हमारे स्थगन का विषय अलग बिंदुओं पर है । मुझे लगता है कि इन

बिंदुओं को प्रभावित नहीं करेंगे । चर्चा होगी तो अच्छा होगा और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानेंगे कि इसमें किस तरह से पुलिस काम कर रही है और यह सत्ता पक्ष के लिए भी अच्छा होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दोनों विषय को-रिलेटेड है । कोई वक्ता गारंटी नहीं ले सकता कि हम इस विषय को स्पर्श नहीं करेंगे । (व्यवधान) हम अमरगुफा की घटना पर नहीं बोलेंगे । हम सिर्फ कलेटोरेट और एस.पी.ऑफिस में जो आगजनी हुई उसी पर बात करेंगे, ऐसा कोई वक्ता गारंटी नहीं दे सकता। चूंकि यह बात विपक्ष की ध्यानाकर्षण की सूचना में लिखी हुई है। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि इस पर व्यवस्था देने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है, इसीलिए आपने जो व्यवस्था दी है, उसी पर चर्चा कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ठीक है। बैठ जाईए।

श्री रामकुमार यादव :- अइसे लगत हे, ओमा ऐखरे नाम आ जाही लागत हे।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। हो गया।

<u>अध्यक्षीय व्यवस्था</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में विचार उठाया था, जो प्रकरण माननीय न्यायिक आयोग के समक्ष विचाराधीन है, क्या उस पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा की जा सकती है ? मैंने प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का अवलोकन किया। मैंने सदन में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही ग्राह्यता, अग्राह्यता पर विचार मात्र सुन रहा हूं, मैंने स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य नहीं किया है, मैं इसका निर्णय बाद में लूंगा। मैंने सभी सदस्यों की बात सुनी, मेरा अनुरोध है, कृपया सदस्य अपनी बात कहते समय न्यायिक आयोग द्वारा जिन बिन्दुओं को शामिल किया गया है, उस विषय के अलावा अपनी बात सदन में रखें। चलिए।

<u>पृच्छा</u>

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन दिया है। 10 जून को जो बलौदाबाजार के कंपोजिट बिल्डिंग कलेक्ट्रेड, एस.पी. आबकारी, शिक्षा विभाग सब कुछ उसी बिल्डिंग में है, उसमें आगजनी हुई। अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि इस घटना की शुरूआत 14, 15 मई को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जो जैतखाम को क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया, उससे सतनामी समाज उद्वेलित हुआ, 17 तारीख को एफ.आई.आर. हुआ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट।

श्री भूपेश बघेल :- रूक जाओ न भाई।

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी आपने नोटिफिकेशन को पढ़कर सुनाया है, फिर वहीं से शुरूआत हो रही है।

श्री भूपेश बघेल :- शून्यकाल तो है भई। शून्यकाल तो है।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसीलिए तो हमने कहा है कि इसकी चर्चा यहां पर न हो। 14, 15 की घटना से ही शुरूआत हो रही है।

श्री भूपेश बघेल :- यहां चर्चा नहीं होगी तो कहां चर्चा होगी। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आपको तकलीफ क्यों हो रही है। (व्यवधान)

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- सतनामी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आप लोग अपराधी को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए-चलिए।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री भूपेश बघेल :- मैंने केवल इतना कहा कि यहां आगजनी हुई है। जांच के जो बिन्दु हैं, मैंने उसके इतर कोई बात नहीं की। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- सतनामी समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। सतनामी समाज के प्रति अन्याय हो रहा है और आप लोग इस चर्चा से भाग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- जो घटना घटी है, उसको कोई इंकार कर सकता है क्या ? (व्यवधान)

श्री प्रबोध मिंज :- अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है कि जो न्यायिक बिंदु हैं, जो जांच के विषय हैं, सदन को कैसे पता की जांच में क्या-क्या हो रहा है ?
कौन-कौन से बिन्दु हैं, हम उसको सुनें। फिर बिंदु पर आएं।

श्री भूपेश बघेल :- भैया, राजपत्र में प्रकाशित हुआ, आपकी सरकार ने प्रकाशित किया।

श्री प्रबोध मिंज :- चर्चा पर बिंदु आएगी तो उसमें बात करेंगे।

श्री दिलीप लहरिया :- अगर समय पर जांच कर ली गई होती तो यह घटना नहीं होती। समाज के द्वारा एक महीना इंतजार किया गया। उस समय आप लोगों ने यह निर्णय लिया होता तो यह घटना नहीं होती। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर प्रशासन ने संज्ञान में लिया होता तो यह घटना ही नहीं होती। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री दिलीप लहरिया :- आप लोगों ने कुछ नहीं किया इसी का परिणाम है। आप लोग वरिष्ठ नेता होकर चर्चा को बार-बार बाधित कर रहे हैं।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहत हंव।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। आपको मौका मिलेगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 मई को जो एफ.आई.आर. हुआ, बिहार के 3 मजदूर हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई और समाज इससे संतुष्ट नहीं हुआ।

श्री अजय चंद्राकर :- इसका कलेक्ट्रेट जलने से क्या संबंध है ? आपने उसमें स्थगन दिया है।

श्री भूपेश बघेल :- हां उसी से है। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- वहीं से चिंगारी है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप हमारी बात रखने दीजिए। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री दिलीप लहरिया :- कलेक्ट्रेट ऑफिस जल गया है और चंद्राकर जी हंस रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे समाज में असंतोष फैला, यहां शासन, प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी गई थी, लेकिन ये [3][xx] सरकार सुनी नहीं ? अध्यक्ष महोदय, ये कान में तेल डाले बैठे रहे, अनेक बार समाज के लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, सामाजिक नेताओं द्वारा शासन प्रशासन को इस बात के लिये जगाने की कोशिश की गई कि पुलिस की कार्यवाही से समाज असंतुष्ट है । अध्यक्ष महोदय, हम इसे मान ही नहीं सकते कि कोई भी व्यक्ति केवल मजदूरी नहीं मिलने के कारण से जैतखंब को क्षति पहुंचा सकता है ? अध्यक्ष महोदय, इसकी सी.बी.आई. जांच कराना चाहिये और यह ज्ञापन समाज के व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, लेकिन सरकार तब भी चुप थी और कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी । अध्यक्ष महोदय, वहां आग और भड़कने दिया, इसलिये लोगों में असंतोष बढ़ा । माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 10 तारीख को आंदोलन की तैयारी की गई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया था, जो सभा स्थल है उसके लिये कलेक्टर और एस.पी. से अनुमति ली गई थी । माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद न केवल इस प्रदेश के, बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी लोग आये थे, आपके नागपुर से 200-250 लोग आये थे । अध्यक्ष महोदय, सर्किट हाऊस में रात रूके थे, उसके बाद जब 10 तारीख को हजारों लोग 10 बजे से इकट्ठा हो गये थे, लेकिन एस.पी., कलेक्टर, आई.जी हैं, इनको कोई होश नहीं रहा और भीड़ बढ़ती चली गई । अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों से लोग आते रहे और वहां के एस.पी.,कलेक्टर भी चुपचाप रहे और उनको जाने दिया । अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए कि सोशल मीडिया में तमाम प्रकार के विडियो वायरल हो रहे थे और उसके बाद भी सरकार सचेत नहीं हुई ? अध्यक्ष महोदय, इनका

[3] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

सूचना तंत्र आंखें बंद कर बैठी थी और इसके बाद 10 तारीख को जब भीड़ इकटठा हो गई तो वहां पुलिस बल भी नहीं था, वहां थोड़े से पुलिस बल थी और हजारों की भीड़ वहां पहुंची तो फिर उसे रोक पाना मुश्किल हो गया । अध्यक्ष महोदय, अनेक बार आंदोलन हुये हैं, आप लोग विपक्ष में थे तो भी आंदोलन हुआ है और हम लोगों ने भी आंदोलन किये हैं । अध्यक्ष महोदय, वहां सभा स्थल पर ज्ञापन लेने के लिये कोई भी अधिकारी जैसे तहसीलदार, एस.डी.एम. आ जाता तो ज्ञापन दे देते और मामला वहीं खत्म हो जाता । अध्यक्ष महोदय, यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है, न ज्ञापन लेने आये, बल्कि वहां एस.पी. और कलेक्टर की जो भूमिका है, वह बेहद संदेहास्पद है । अध्यक्ष महोदय, जैसा कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा था कि कलेक्टर और एस.पी. के निर्देश पर वहां भोजन और टेंट की भी व्यवस्था की गई थी। (शेम-शेम) अध्यक्ष महोदय, यहां कुलमिलाकर सारा षड़यंत्र दिखाई दे रहा है और यह छोटा-मोटा नहीं है, यह समाज को बांटने की कोशिश है । अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ जो शांति का प्रदेश है, उसे अशांत करने की कोशिश किन लोगों के द्वारा की जा रही है, यह जांच का विषय है । अध्यक्ष महोदय, और भी बहुत सारी बातें हैं, जब घटना घट गई, कलेक्ट्रेट में घुस गये तो पुलिस वाले अपने प्राण बचाकर भाग रहे थे, मोटर साइकिल, कार में आग लग गई, उसके बाद प्रक्रिया क्या शुरू किया हुआ ? अध्यक्ष महोदय, सतनाम भवन में जो गाड़ियां खड़ी थी, इन पुलिस वालों ने जाकर खुद वहां आग लगाने का काम शुरू किया है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, यह विधायक की फाईल है, वह तो गेट नहीं खोले, नहीं तो इनके वाहन को भी फूँक दिया जाता, यह स्थिति वहां थी । अध्यक्ष महोदय, आई.जी. रायपुर में बैठे हैं, डी.जी. रायपुर में बैठे हैं, बलौदाबाजार कितना दूर है ? क्या फोर्स नहीं भेजा जा सकता था ? क्या रोकने का प्रयास नहीं किया जा सकता था ? क्या इसके पहले समाज के लोगों को बुलाकर बात नहीं किया जा सकता था ? अध्यक्ष महोदय, 15 जून से लेकर 10 मई तक बहुत लंबा समय होता है, आपने भावनाओं को भड़कने दिया, तब यह घटना घटी है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सुशासन की बात करते हैं और इस घटना के लिये कोई जिम्मेदार है तो इसके लिये आप जिम्मेदार हैं और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, यह सारी व्यवस्था आपकी है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या देश के इतिहास में कभी कलेक्टर और एस.पी. कार्यालय में आग नहीं लगी है और यह धब्बा सरकार के सीने में लगा है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि उस घटना के बाद आपने जो भी सफेद कपड़े पहने थे, सब को पकड़-पकड़ कर अंदर करना शुरू कर दिया, चाहे वह सतनामी समाज के हों या गैर हो, यह तो मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारे सत्ता पक्ष के विधायक भाई मोतीलाल साहू का भतीजा भी गया था, वह भी सफेद कपड़ा पहना था, उनके भी वाहन तोड़फोड़ किये गये और उसके साथ भी पिटाई की गई और कोई भी नहीं बचा था, जो भी मिलते थे, जो थियेटर में है या सड़क में है या बाजार में है या कोई घर में है, उसे उठाकर ले जा रहे थे, पुलिस वाले दुर्भावनाओं में आ गये थे । अध्यक्ष महोदय, केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता और

समाज के कार्यकर्ता जो हैं, उनको गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा था, हद तो तब हो गई थी, जब ये गांव में जाते हैं और बोलते हैं कि ये व्यक्ति कहां है ? लोग पूछते हैं कि क्यों पूछ रहे हो ? तो कहा जाता है कि हम इसको गिरफ्तार करने आये हैं तो पता चलता है कि वे 4 महीने पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं । ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने पुलिस वाले पहुंचे हैं । आज पुलिस बिल्कुल दुर्भावना के तहत काम कर रही है । इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें विस्तृत चर्चा हो तो बहुत सारे तथ्य आएंगे । किन-किन को गिरफ्तार किया गया है, किसके कहने पर गिरफ्तार किया गया है, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है । तह तक नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि यह षड़यंत्र किया जा रहा है चाहे जैतखाम को काटने की बात हो, चाहे कलेक्ट्रेड कम्पोजिट बिल्डिंग को जलाने की बात हो, चाहे वाहनों को जलाने की बात हो, यह षड़यंत्र के तहत किया गया है । इसमें चर्चा कराएंगे तो सभी बातें आएंगी । इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि इस स्थगन को ग्राहय करके चर्चा कराएं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तूरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि डुप्लीकेट अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता, डुप्लीकेट अपराधी पकड़ा गया । इसी की तो मांग थी । एक महीने तक इंतजार हुआ । डुप्लीकेट अपराधी छत्तीसगढ़ में पकड़ा जाना दुर्भाग्य है । जिसने यह कांड किया है, यदि उसको पकड़ा जाता तो शायद यह घटना नहीं होती ।

अध्यक्ष महोदय :- उमेश पटेल जी । आप संक्षिप्त में अपनी बात रखें । यह स्थगन ग्राहय नहीं हुआ है । आप इस बिन्दु पर ध्यानाकर्षण कर सकते हैं ।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने लगभग सारी बातें रखी हैं । मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि इस घटना के बाद किस तरह से पुलिस की कार्रवाई हो रही है । शैलेन्द्र बंजारे को पुलिस ने धारा 307 लगाकर जेल में डाला है । क्या वह वहां उपस्थित था ? वह उस जुलूस में आगजनी में वहां उपस्थित ही नहीं था । अध्यक्ष महोदय, यह पूरी घटना आज 21वीं सदी में हो रही है और हर घटना का वीडियो क्लिप उपस्थित है । जिन लोगों ने इसमें आगजनी की है, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, उनके चेहरे स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, लेकिन पुलिस दुर्भाग्वनापूर्वक सिर्फ कांग्रेस के साथियों को गिरफ्तार करने का काम कर रही है और धारा 307 लगाई जा रही है । शैलेन्द्र बंजारे का घर कलेक्ट्रेड के सामने है, वह अपने घर में उपस्थित है । अगर आप मोबाईल टावर के सबूत के साथ आप कार्यवाही करेंगे तो उसका मोबाईल कलेक्ट्रेड के टावर में दिखेगा ही क्योंकि दोनों का मोबाईल टावर सेम है । शैलेन्द्र बंजारे का घर कलेक्ट्रेड के सामने है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एक दीपक मिरी है । पुलिस उसके घर जाती है और कहती है कि दीपक मिरी उस दिन उपस्थित था, हमारे साथ चलो । उसके घर वाले बताते हैं कि तीन महीने पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है । (शेम-शेम की आवाज) ऐसे लोगों को पुलिस उठाने जा रही है । इसी तरह से सूर्यकांत वर्मा है, वह

हमारे एन.एस.यू.आई. का साथी है । वह क्रिकेट खेलने के लिए वहां उपस्थित था । जब यह घटना हुई तो वह क्रिकेट खेल रहा था । उसको पुलिस के द्वारा उठाकर धारा 307 लगा दी गई । भारतीय जनता पार्टी षड़यंत्रपूर्वक कांग्रेस को बदनाम करने के लिए हमारे साथियों को अरेस्ट कर रही है और 12 अलग-अलग केसेश बनाएं हैं । एक की भी डायरी प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसको दूसरे केस में डाला जा रहा है । उसकी भी जमानत लगाने की कोशिश की जा रही है तो तीसरे केस में उसका नाम घसीटा जा रहा है, ताकि वह आदमी छूट न सके और लोगों के बीच में यह संदेश जाये कि इन लोगों ने यह घटना की है । अध्यक्ष महोदय, पूरी फूटेज उपलब्ध है । अगर पुलिस सही में कार्रवाई करेगी तो उन लोगों के चेहरे को उजागर करे, जिन लोग इसमें उपस्थित है । इसलिए इसमें वृहद चर्चा करने की आवश्यकता है । आपसे निवेदन है कि आप इसमें चर्चा कराईए ।

अध्यक्ष महोदय :- संक्षिप्त में आप अपनी बात रखिए कि क्या चाहती हैं ?

श्रीमती कविता प्राण लहरे (बिलाईगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना मोर बिलाईगढ़ विधान सभा के गिरौधपुरी बाबा जी के तपोभूमि है, जेमा अमरगुफा महकोनी गांव में हमर बाबा जी के जैमखाम ला काटे के काम करिस । हमन ला तो लगथे कि हमन के कलेजा ला निकाले के काम करे हे । अध्यक्ष महोदय, 14 अउ 15 मई के यह घटना घटे हे, जेकर आन्दोलन में हमन बईठे हन, पुलिस प्रशासन 24 घंटा के समय मांगिस, हमन देन, लेकिन एक बिहारी ला मुजरिम बनाके लाकर खड़ा कर दिस । हम पूछना चाहथन कि बिहारी ला छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज से का लेना-देना हे, जो ओला काटही । हमन सही मुजरिम ला पकड़े के मांग करेन, सीबीआई जांच के मांग करेन, जेला नहीं करिस । वह आन्दोलन बलौदाबाजार तक पहुंचिस । 50 हजार के भीड़ में 500 पुलिस प्रशासन के सुरक्षा नहीं रहिसे अउ ये घटना घटे में हम तो बोलथन कि भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार हे । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप मन देखिहा कि सतनामी समाज के आदमी हर पार्टी मा हे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आदमी ला, उही युवा भाई कार्यकर्ता मन ला, बेगुनाह मन जा जेल में डाले जात हे, ए कहां के न्याय हे, हम आपसे पूछथन ? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमन ये सदन से न्याय के मांग करत हन, आप न्याय देवा। धन्यवाद।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में बलौदाबाजार की घटना के बारे में चर्चा हो रही है। यह घटना हमारे प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए भी बहुत बड़ी घटना है, जहां पहली बार इस तरह की घटना घटित हुई है। हम लोग आज उस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। बलौदाबाजार की घटना के बारे में वहां के सतनामी समाज, जो छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा वर्ग है, समाज है, उस समाज के लोगों की जैतखंभ में आस्था है। वहां जो तोडफोड़ किया गया, उसके विरोध में अपनी बात रख रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। वे लोग लगभग एक महीने से लगातार न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन उस एक महीने के दरम्यान किसी जिम्मेदार अधिकारी या उसके प्रतिनिधि ने भी वहां पर

जाकर न्याय देने की बात या उनसे बात करने की कोशिश भी नहीं की। नतीजतन वहां के लोगों में धीरे-धीरे रोष पनपता गया। उसके बाद वहां पर इतने बड़े का समूह का जमा होना, प्रदेश की कानून व्यवस्था, रायपुर राजधानी से नजदीक होने के बावजूद भी इंटेलीजेंस फेल होने से घटित यह बड़ी घटना हम सबके सामने है। इससे यह साबित होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लचर है, इंटेलीजेंस फेल हुआ और यह सरकार की नाकामी है। मेरा, आपसे इस महत्वपूर्ण विषय पर अनुरोध है कि सदन में माननीय सदस्यगण अपने विचार रखे और आप सुने। क्योंकि अगर हम सभी सदस्य अपनी बात सदन में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे ? हम अपनी बात सदन में रखेंगे, ताकि समस्या का समाधान भी हो और भविष्य में दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो। धन्यवाद।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा गिरौदपुरी धाम, यह छत्तीसगढ़ के किसी समाज का नहीं है, वह हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की आस्था का केन्द्र है, जिसको सतनाम धर्म के लोग एक देव रूप में मानते हैं। वहां पर हमारी धार्मिक भावना को भड़काकर छत्तीसगढ़ के लोगों के मन को विचलित किया गया है, उनको ठेस पहुंचाई गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य और शर्मनाक घटना है। किसी धर्म या जाति की भावना को ना लेकर हमारे छत्तीसगढ़ की जनता का धार्मिक भावना को भड़काने का काम किया गया है। वहां पर छत्तीसगढ़ सरकार की कानून व्यवस्था पता नहीं कैसे फेल हो गई, तंत्र फेल हो गया और वहां पर इतनी बड़ी आगजनी की घटना हुई ? वहां के जिला प्रशासन कलेक्टर कार्यालय, एस.पी. कार्यालय में आगजनी की घटना हुई। वहां पर बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हुए हैं। वहां बहुत से निर्दोष लोगों को जबर्दस्ती फंसाया गया है। यह घटना कानून व्यवस्था बिगड़ने के कारण हुई है। मैं समझता हूं कि इसमें निर्दोष लोगों के ऊपर कार्यवाही हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्थगन को ग्राह्य कर इस पर विस्तार से चर्चा कराई जाये। ताकि इस तरह की घटना पुन: छत्तीसगढ़ में ना हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए आपसे मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौण्डी लोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बलौदाबाजार की घटना से ऐसा लगता है कि यहां की सामाजिक समरसता को खत्म करने की साजिश है, षड़यंत्र है। आज सतनामी के साथ घटना हुई है, कल किसी और समाज के साथ घटना हो सकती है। इसमें शासन और प्रशासन आंखें बंद करके, कान बंद करके बैठी हुई है। इस घटना के बाद क्षेत्र में ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, जो इस मामले से कोसो दूर थे। वहां कई बहनें रो रही हैं, किसी के भाई को मुजरिम बनाया गया है, किसी के पति को मुजरिम बनाया गया है, किसी के पिता को मुजरिम बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में ऐसी सरकार चल रही है, ऐसा कानून चल रहा है, जिसमें निर्दोष लोगों को मुजरिम बनाकर जेल के अंदर ठूंसा जा रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्यों के द्वारा, हमारे नेता के द्वारा इस सदन में जो

स्थगन लाया गया है, उसको ग्राह्य कर चर्चा कराई जाये, ताकि जो अपराधी है, वह पकड़ा जाये। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। कवासी जी।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब 35 सदस्यों ने मिलकर यह स्थगन प्रस्ताव लाया है। इस स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा की शुरूआत हमारे नेता भूपेश बघेल जी ने की है। अजय चंद्राकर जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। वह उचक-उचक कर बोल रहे थे और इस स्थगन की ग्राह्यता को रोकने का प्रयास कर रहे थे, इससे पता चलता है कि वह कितने गंभीर हैं। अध्यक्ष जी, आपने हम लोगों को इस बात को उठाने की अनुमति दी है, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। आप उनकी बात की परवाह न करते हुए इस स्थगन को ग्राह्य कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसी राजनीतिक दल का छत्तीसगढ़ नहीं है। यह आदिवासी बाहुल्य और सतनामी समाज का क्षेत्र है। सीधे-सादे सतनामी समाज के लोग गांव में रहते हैं। आज से 15 दिन-1 महीने पहले उनके समाज को ठेस पहुंचाने का काम होता है और सतनामी समाज वाले थाना में उसकी रिपोर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उसकी [XX] करते हैं, कलेक्टर और एस.पी. से मिलाने के बाद [XX] बनाते हैं और उनके लिए खाना की व्यवस्था कर देते हैं। जब हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य वहां पर गये थे तो मैं भी उस क्षेत्र में गया था। हमारे सीधे-सादे और बहुत समझदार छत्तीसगढ़ को, पूरी दुनिया समझती है कि छत्तीसगढ़ के लोग अच्छे लोग हैं। चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे सामाजिक लोग हों, यहां निवास करने वाले अच्छे छत्तीसगढ़िया हैं। हम लोग नारा लगाते हैं कि ''सबसे बढ़िया-छत्तीसगढ़िया''। अध्यक्ष जी, लेकिन कलेक्टर ऑफिस सुरक्षित नहीं है तो फिर हम छत्तीसगढ़िया लोग कैसे सुरक्षित होंगे? हमारे देश और जनता की सुरक्षा करने वाला एस.पी. ऑफिस सुरक्षित नहीं है। कलेक्टर व एस.पी. दोनों ऑफिस की बिल्डिंग एक ही जगह में हैं, वह दूर-दूर नहीं हैं। अध्यक्ष जी, आपके मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में हमारे सुकमा और बलौदा-बाजार जिला में कलेक्टर व ए.पी. ऑफिस बने थे। कहीं-कहीं पर कलेक्टर व एस.पी. ऑफिस दूर-दूर में स्थित हैं। कुछ जगहों में एक ही बिल्डिंग में दोनों ऑफिस हैं। यह अच्छा है। चाहे एस.पी. ऑफिस में काम हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस में काम हो, कलेक्टर व एस.पी. ऑफिस दूर-दूर होने से समय बर्बाद होता है इसलिए बलौदा-बाजार जिले के कलेक्टर व एस.पी. ऑफिस एक जगह में बने हैं। लोग दौड़ा-दौड़ा कर कलेक्टर व एस.पी. ऑफिस को जलाकर भग गये और एस.पी. कहां भाग गये, पता नहीं। इसलिए सबसे पहले उनको जेल भेज देना चाहिए। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने वहां के कलेक्टर व एस.पी. को सस्पेण्ड कर दिया है । जो जिम्मेदार हैं और जो वहां पर काम से गये थे, चाहे वह कोई ठेकेदार हो, कोई गांव वाला जाति या निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गया हो। आजकल कोई पैदल नहीं जाता है, मोटर सायकल से जाते हैं। हम लोग उस दिन वहां पर गये थे तो पता चला कि एक ठेकेदार उस ऑफिस में गया था, उसकी कार में 8 लाख रूपये थे। उसकी गाड़ी

भी जल गयी और 8 लाख रूपये भी जल गये। वह ऑफिस के अंदर से आया तो न उसकी गाड़ी थी और न पैसे थे। विष्णु देव साय जी के मुख्यमंत्री बनने पर शुरूआत में हम लोगों ने उनको बधाई दी थी कि विष्णु देव साय जी जैसे सज्जन आदमी मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन विष्णु देव साय जी के ऊपर एक आरोप लगेगा, क्योंकि यह बस्तर या सरगुजा नहीं है। हवाई जहाज में जा सके, कहीं बाहर रूक सके। बलौदा-बाजार एक ही जिला का हिस्सा है। पहले वह रायपुर जिला का हिस्सा था। उस समय एक जिले में रहकर यहां के रेंज के कलेक्टर व एस.पी. उसको संभालते थे, लेकिन अब बलौदा-बाजार रायपुर से अलग होकर अलग जिला बना गया है और इतना जल रहा है। इसको हमारा पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया देख रही है। आज समाचार-पत्र और मीडिया का माध्यम है। एक बार छत्तीसगढ़ विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी हुआ करते थे तो उस समय हम लोग आस्ट्रेलिया गये थे। मैंने उस बात को भी इस विधान सभा में कहा था। हम आस्ट्रेलिया में घुम रहे थे तो हमें गुजरात के लोग मिले थे। उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहां से हैं तो हमने कहा कि हम छत्तीसगढ़ से हैं। मेरी धोती व पहनावा को देखकर उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तानी की तरह दिख रहे हैं। उस समय तो छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तो हमने कहा कि हम मध्य प्रदेश से आये हैं । वे उस समय आस्ट्रेलिया में बोल रहे थे कि वहां अधिकारी राज चलता है, नेता लोगों का राज नहीं चलता है। यहां कलेक्टर व एस.पी. ऑफिस में आगजनी की घटना होना कितनी लज्जाजनक बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा न बोलकर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सरकार का भरोसा नहीं है। कुछ मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं, कुछ गृहमंत्री जी बोल देते हैं। तीन-तीन मुख्य मंत्री बने हैं और इस छोटे से राज्य को संभाल नहीं पा रहे हैं, जबकि आप जैसे आदमी ने संभाल लिया था। हमारी पार्टी की सरकार तो नहीं बनी, आप ही लोगों की सरकार बनी लेकिन यहां न तो सतनामी सुरक्षित है, न ही आदिवासी सुरक्षित है और न ही कोई गरीब आदमी सुरक्षित है। किसी की बेटी तो किसी की मां रो रही है। उस झगड़े में जाने वाले आदमी नागपुर से आये थे तथा बाहर से आये थे किन्तु नागपुर का एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया। हमारे कांग्रेसी लोग पैजामा-कुर्ता जला रहे हैं। सतनामी समाज जो कि एकदम कमजोर समाज है उसे ढूंढ़ा जा रहा है। यहां का रहने वाला है तो वह आदिवासी समाज है, सतनामी समाज है। हम लोगों को लगा कि छत्तीसगढ़ बनने से सतनामी समाज का भला होगा, आदिवासी लोगों का भला होगा। उधर तो नक्सलाईड तांडव करके मरवाते हैं और इधर सतनामी समाज को हमारी सरकार के पुलिस वाले जाकर घर में पीठ पर लाल होने तक मार रहे हैं, उन पर बड़ी-बड़ी धाराएं लगा रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं है, वकील नहीं लगा पाने से वह पैरवी नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसे ग्राह्य किया जाए, ताकि इस पर उधर से भी बात आए। सिर्फ हमारी बात न हो बल्कि उधर मंत्री लोग भी बोलें, तो इस पर कमीबेशी पता चलेगी, इसलिए इसे ग्राह्य करके इस पर चर्चा की जाए। आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया। संक्षिप्त में एक-एक मिनट में बोलिए, बहुत हो गया।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी घटना में एक मिनट ।

अध्यक्ष महोदय :- हॉ, अपनी बात रख दीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले छत्तीसगढ़ को पूरे देश में धान के कटोरा के रुप में जाना जाता था लेकिन भारतीय जनता पार्टी और माननीय विष्णु देव जी की सरकार में अब छत्तीसगढ़ को अपराध के गढ़ के रूप में जाना जा रहा है। इतिहास में कलेक्टर और एस.पी. कार्यालय कभी नहीं जला, लेकिन विष्णु देव साय जी के सुशासन की सरकार में कलेक्टर और एस.पी. का कार्यालय जल रहा है और उसके बावजूद माननीय मुख्य मंत्री जी का होर्डिंग लगता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय जी का सुशासन है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना घटी तो केवल कलेक्टर और एस.पी. के ऊपर क्यों कार्रवाई की गई? उन्हें क्यों सस्पेंड किया गया?आई.जी. के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई, इंटेलीजेंस आई.जी. के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? अध्यक्ष महोदय, कहीं न कहीं इस मामले में लीपापोती हो रही है। निर्दोष को जेल भेजा जा रहा है और पुलिस वैसा ही काम कर रही है जैसा अंग्रेज हुकूमत में पुलिस का रवैया रहता था। इस मामले में अंग्रेज हुकूमत से भी ज्यादा बदले की भावना से पुलिस काम कर रही है। मैं तो यह बोलना चाहूंगा कि देश के इतिहास में जब भी इस प्रकार की बड़ी घटना हुई हैं, तो नैतिकता के आधार पर संबंधित विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिया है, इसलिए माननीय गृहमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को इसमें इस्तीफा देना चाहिए। (शेम-शेम की आवाज)

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर जब षड़यंत्र की तैयारी चल रही थी, उस समय खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? यदि सूचनाएं प्राप्त हुईं थीं, तो उन सूचनाओं के आधार पर पुलिस तथा जिला प्रशासन ने क्या-क्या किया? सरकार की नाकामी के कारण देश के इतिहास में यह पहली लज्जाजनक घटना टालने में सरकार पूरी तरह विफल रही और सतनामी समाज को बदनाम करने में सफल रही। इस घटना को बीते आज 40 से 45 दिन हो गए, लेकिन अभी भी पुलिस प्रशासन की तरफ से समाज के लोगों की गिरफ्तारी अनवरत जारी है। कितने और लोगों को गिरफ्तार करेंगे, इसे सरकार यहां पर हमें बताए। हमारे समाज के लोग अभी-भी दहशत में जी रहे हैं, छिप-छिप के जी रहे हैं। महोदय, छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार की घटना के बाद कई थाने ऐसे हो गए हैं, जहां सिर्फ सतनामी समाज के लोगों को चिन्हांकित करके अपराधी के तौर पर उनका नाम और फोटो टांगा गया है और दूसरे अपराधी जो कि पहले से अपराधी थे, उनका नाम और फोटो गायब हो गया है। क्या पहले के अपराधी अपराधी नहीं रह गए हैं, यह हम जानना चाहते हैं?

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय जितना गंभीर होता है, उसका उतना ही विरोध होता है, इसे आज हमने देखा है। आज इस स्थगन में हमारे विपक्ष के द्वारा कितना विरोध किया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बलौदा बाजार की घटना है ।

समय :
1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, वहां जैतखम्भ काटने के नाम पर जो झूठी गिरफ्तारी हुई हैं, समाज वालों ने उसका विरोध किया है। उस समय जो आगजनी की घटना हुई, उसमें 200 से 300 गाड़ियां जलाई गई हैं। उस घटना के दौरान वहां से जितने लोग गुजर रहे थे, उनको भी पकड़कर पुलिस प्रशासन ने अंदर कर दिया। जबकि वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ थी, वहां पुलिस प्रशासन के सिर्फ 500 जवानों से कुछ नहीं होता। यदि दूसरे कामों में देखा जाये तो एक छोटे से काम के लिए हजारों की संख्या में फोर्स आ जाती है। साथ ही उस घटना के दरमियान जो आमजन कलेक्टोरेट गये थे, उस घटना से बचने के लिए उनमें से कोई टेबल के अंदर घुस रहा था, कोई अपने आप को रूम के अंदर बंद कर रहा था। अध्यक्ष महोदय, यहां सवाल यह उठता है कि जब एक महीने से यह मामला सुलग रहा था, एक महीने से यह मामला चर्चा में था, तो क्या एक महीने से प्रशासन सोया हुआ था ? हमारे मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब या कोई भी अधिकारी वर्ग उस मामले को संज्ञान में नहीं लिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस सदन की कार्यवाही को रोककर इस विषय में चर्चा कराई जाये। धन्यवाद्।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- अध्यक्ष महोदय, बलौदाबाजार की घटना से पूरे देश ने यह जान लिया है कि छत्तीसगढ़ में जो भा.ज.पा. की सरकार है, वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे निरीह और कमजोर सरकार है। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था में भी प्रश्न चिन्ह है। यह देश में पहली घटना है, जिसमें संयुक्त कार्यालय एक साथ जला दिये गये। बलौदाबाजार में जो घटना हुई है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, यह हमारे राज्य के इतिहास का काला अध्याय है, जो अमिट रहेगा, उसे भी मिटाया नहीं जा सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आगजनी में सैकड़ों साल पुराने राजस्व के रिकॉर्ड भी जल गये, उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे ? इस पर भी गंभीरतापूर्वक बात होनी चाहिए, यह चिंतनीय सवाल है। इस घटना के समय यदि किसी की गाड़ी जल गई, तो उसका बीमा होगा, वह बीमा कंपनी उसकी भरपाई कर देगी, लेकिन जिनकी दुकानें जल गईं, जिनके सामान तोड़ दिये गये, उनका क्या होगा ? इस घटना को लेकर माननीय विष्णु देव साय जी सरकार पहले अधिकारियों का स्थानांतरण करती है, उसके दो दिन बाद निलंबन करती है, यह समझ से परे है। केवल आगजनी की घटना कहकर सरकार इस घटनाक्रम से पल्ला झाड़ रही है। यह घटना पूरी तरह लचर प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन को स्वीकार कर, इस पर चर्चा कराई जाए। धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया। नेता जी को सुन लीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि एक-एक सदस्य को दो-दो मिनट सुन लीजिए।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश में यह बात चलत हे कि भारत ला फिर से विश्व गुरू बनाबो अउ आज हमन के गुरू मन के विचार हा सुरक्षित नहीं हे। में हा गौतम बुद्ध जी के बात ला याद करथो, जो गौतम बुद्ध जी करूणा के सागर रिहीसे, कबीर साहब जी, रविदास जी के बात ला याद करथो। रविदास जी कहे रिहीसे कि

"ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट-बड़ो सब सम रहें, रविदास रहे प्रसन्न",

आज गुरू घासीदास जी कहे रिहीसे कि

"रोटी, कपड़ा और मकान, यह तीनों है सतलोक समान", अउ कहात रिहीसे कि "मनखे-मनखे एक समान", लेकिन आज ओखर के विचार ला, ओखर भावना ला किस प्रकार से कुटाराघात किये जात हे। आज आपके माध्यम से कहना चाहत हव कि सत्ता पक्ष के मन ला ऐसा लगत हे कि हमहीं मन छत्तीसगढ़ के ठेकेदार हन। ठीक हे तोर पास थोड़ अकन ज्यादा विधायक हे, थोड़ हमन बर कम हो गिस, लेकिन आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में दाग लगे हे, एला भुलने वाला नहीं हे। आज हमन जब दूसरे प्रदेश में जात हन, तो हमन ला देख के कहात हे कि हमन टी.व्ही. समाचार में देखे हन, अच्छा आप छत्तीसगढ़ के विधायक हो, तुंहर यहां कलेक्टर ऑफिस जल गे हे, तुंहर यहां एस.पी. ऑफिस जल गे हे, ये हमन ऊपर दाग लग गे हे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहत हव कि ना यहां कानून व्यवस्था ठीक हे, ना रोड बनत हे, ना बिजली हावय, ना खातू मिलत हे, ये सरकार भंग हें, यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाये। ये मन कोई सरकार चलाय के लायक नहीं हे। ये विषय मा चर्चा की जाये। धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- आखिरी में आप बोलिए।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तूरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नहीं, ओ समय बोले नइ रिहिस हे। ओ समय आपके बात के भर जवाब दे रिहिस हे। अब माननीय सदस्य हा बोलही।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तूरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ए पूरा प्रदेश अउ देश के इतिहास मा पहिली घटना हे। जेन ए तरह के घटना के बाद पूरा प्रदेश के हर कार्यालय मा अन्य कलेक्ट्रेट कार्यालय मा अउ अन्य जगह भी दहशत हे कि कहीं अइसन घटना इहां भी न हो जाए। एकर भारतीय जनता पार्टी, माननीय विष्णु देव साय जी के सरकार जवाबदार हे, चूंकि मय पहिली भी बोले हौं कि यदि डुप्लीकेट अपराधी नइ पकड़े जातीस। हमर मांग एके रिहिस हे कि उहां जो अपराधी हे, जो सही मा षड़यंत्र करे हे, जयस्तंभ ला खण्डित करे हे, ओ ला पकड़े जाए। यही छोटे से मांग रहिस हे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मय निवेदन करना चाहत हौं कि ए विषय मा स्थगन प्रस्ताव ग्राहय करके, चर्चा किया

जाये क्योंकि ए बहुत ही गंभीर मामला हे। वाकई में सतनामी समाज ला बांटे के प्रयास किये गये हे। ए एक पूरा-पूरा षड़यंत्र हे। हम ए भी मांग करे हन। माननीय हमर नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय भूपेश बघेल साहब जी घटना स्थल में गईस । ओ समय भी मांग करे गईस कि निर्दोष ला छोड़ा जाए अउ जो दोषी हे, ओला पकड़े जाए, लेकिन इहां एक षड़यंत्र के तहत आखिर काकर फोन जाथे कि ए सफेद वस्त्र पहने हे, गुरू घासीदास बाबा के अनुयायी हे, ओला पकड़े जाए। अइसे कहीं न कहीं हमर प्रदेश में षड़यंत्र चलत हे, दहशत के माहौल हे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, में ए निवेदन करना चाहत हौं। जेन हिसाब से हमन जब समाज मा जयंती मनाथन तो आज के समय में हर समाज जयंती में शामिल होथे। अइसे आप बता दौ कि ओ मे कोन समाज जयंती में शामिल नइ होए। सब समाज समरसता के साथ जयंती में झण्डा रोहण करथे, ध्वजा चढ़ाथे। अन्य समाज के भी कोई बात होथे तो ओ मा हर समाज भी हा एक दूसर में शामिल होथे। ए जो छत्तीसगढ़ ला छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहन। हम कइसे मानबो कि "छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया" एला बिगाड़े के पूरा-पूरा हाथ भारतीय जनता पार्टी के माननीय विष्णु देव साय जी के सरकार हाथ हे। आप मन एला संरक्षण न देते हुए, एमा उचित कार्यवाही होए। एला स्थगन के माध्यम से ग्राह्य करके, चर्चा किये जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती उत्तर गनपत जांगड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय ....।

अध्यक्ष महोदय :- अब इसमें बहुत चर्चा हो गई। अगले विषय में ले लेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि यह सदन पूरी तरीके से उद्वेलित है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ। वर्ष 1786 से पूरे देश में एक प्रयास हो रहा है कि यहां किस तरह से दलित, शोषित, पीड़ित परिवार तथा विभिन्न जाति, धर्म के लोग जो आज न न्याय पा रहे रहे हैं, न समाज के स्थान पा रहे हैं न मंदिर, मस्जिदों में जा रहे हैं इतने बड़े समाज को किस तरह एक किया जाए। महाराज, मेरे ख्याल से इसके लिए वर्ष 1786 से यह आन्दोलन शुरू हुआ है। इस आन्दोलन में और कुछ नहीं है। इसमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया और सद्भाव है। सबको, इस मामले से करूणामयी एक परिवार बनाने की कोशिश हो रही है। इतने दिनों के प्रयासों को आप इतने सहज ढंग से तोड़ेंगे, इस समाज को बिखेरेंगे, इस समाज में विष घोलने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? आपने जब चाहे हमारे प्रतीक, आस्था और विश्वास को जयतखंभ के बहाने से तोड़ दें, चाहे लाठी चार्ज कराके तोड़ दें, चाहे आग लगाकर तोड़ दें, यह उचित नहीं है। हम चाहते है कि हमने यहां पर जो स्थगन प्रस्ताव दिया है। वह एक षड़यंत्र है। हम, आपको षड़यंत्र के खिलाफ बताना चाहते हैं। आप, हमारे इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करें। हम, आपको साबित करके दिखाएंगे कि किस तरह, किसके द्वारा, क्यों यह षड़यंत्र पूरे छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। छत्तीसगढ़ आपके जमाने, हमारे जमाने सैकड़ों सालों

से शांति का टापू माना जाता है। महाराज, अगर यहां सद्भाव बिगड़ने लगे, यहां की शांति भंग होने लगे, यहां हिंसा मय वातवरण बन जाये तो उसके लिए दोषी कौन है? जो सरकार में रहेगा वही दोषी होगा न। हम न तो कांग्रेस की, न भाजपा की बात कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे, इनकी रिपोर्ट से बाद में पता लगेगा, जब इस पर चर्चा होगी तो बात होगी। मेरी जानकारी में अभी तक 168 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और उसमें 5 बालक भी हैं। उसमें हमारे जितने सामाजिक काम करने वाले लोग कहे जा रहे हैं, चाहे भीम आर्मी के लोग हों, भीम रेजीमेंट के लोग हों, भीम क्रांति सेना के लोग हों, प्रगतिशील सतनामी समाज के लोग हों, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग हों, वह भी गिरफ्तार हैं, कांग्रेस के लोग भी गिरफ्तार हैं और दूसरे संगठन के लोग भी गिरफ्तार हैं। इसमें लगभग आप लोगों ने जो आंका है, मेरी जानकारी में करोड़ों रुपये की क्षति भी हुई है। क्या प्रदेश की राजधानी के नजदीक अगर इस प्रकार की क्षति हो रही हो, इस प्रकार से सद्भावना को, सामाजिक समरसता को बिगाड़ा जा रहा हो तो अध्यक्ष महोदय, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? हम अपनी बात किससे कहें। अभी तक हम सड़कों पर चिल्लाते रहे, आपने नहीं सुना। आज विधान सभा लगी है, हमने विधान सभा में इन्हीं बातों को बताने के लिए कि कौन ऐसा आदमी है जो हमारी हमारी सद्भावना को बिगाड़ रहा है, सामाजिक समरसता को खत्म कर रहा है, छत्तीसगढ़ को बदनाम कर रहा है? बस्तर में आज तक कोई कलेक्ट्रेट, पुलिस थाना नहीं जला। बड़े-बडे प्रदेश की राजधानी में कुछ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया कि आप छत्तीसगढ़ की सद्भावना को, शांति को बिगाड़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में जो एक प्रेम का वातावरण है, उसको तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है। यदि आप स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे बिन्दु आयेंगे, हम लोग ही रखेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं इस स्थगन को ग्राह्य करें और इस पर चर्चा करायें।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि जिला बलौदाबाजार में हिंसा एवं आगजनी की घटना सरकार की लचर कानून-व्यवस्था एवं खुफिया तंत्र की नाकामी का प्रमाण है। घटना के संबंध में वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के ग्राम महाकोनी स्थित सतनामी समाज के आस्था केन्द्र अमरगुफा पहाड़ा के जैतखाम को क्षति पहुंचाने की घटना को लेकर प्रार्थी कराम दाम भास्कर पिता बोदूराम भास्कर उम्र 65 वर्ष निवासी गिरौधपुरी की शिकायत पर थाना गिधौरी-टुण्डरा में अपराध क्रं. 110/2024 धारा 295, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान दिनांक 18.05.2024 को 01. सलटु कुमार यादव पिता विमल यादव 02. रघुनंदन यादव पिता बैजनाथ यादव 03. पिन्टू कुमार यादव पिता विमल यादव की गिरफ्तारी की गई है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त घटना को लेकर शासन द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की एकल जांच समिति का गठन किया गया है।

दिनांक 30.05.2024 को सतनामी समाज के पदाधिकारियों द्वारा बलौदाबाजार दशहरा मैदान में प्रदेश स्तरीय आंदोलन एवं रैली की अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी बलौदाबाजार से मांगी गई थी, दिनांक 07.06.2024 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजकों के साथ कलेक्टर, बलौदाबाजार एवं पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार द्वारा इस संबंध में मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें आयोजकों द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम शांतिपूर्वक आयोजित किये जाने की सहमति दी गई थी। इस संबंध में आयोजकों द्वारा लिखित रूप से अनुमति की शर्तों का पालन किये जाने की सहमति देने पर दिनांक 08.06.2024 को अनुविभागीय दण्डाधिकारी बलौदाबाजार द्वारा दशहरा मैदान बलौदाबाजार में केवल शांतिपूर्वक आमसभा की अनुमति दी गई थी, रैली की अनुमति नहीं दी गई थी। शासन द्वारा दिनांक 09.06.2024 को अमरगुफा पहाड़ की घटना को लेकर न्यायिक जांच की घोषणा भी गई थी। दिनांक 10.06.2024 को दशहरा मैदान बलौदाबाजार में करीब 8000 लोग सभा में उपस्थित हुए थे, सभा के मद्देनजर 500 से भी अधिक पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को कर्तव्यस्थ किया गया था। यह कहना सही नहीं है कि ज्ञापन लेने हेतु सभा स्थल पर कोई उपस्थित नहीं था। अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बलौदाबाजार दशहरा मैदान बलौदाबाजार में उपस्थित थे, परन्तु उन्हें ज्ञापन न देकर सभा में शामिल कुछ प्रदर्शनकारी रैली के रूप में दशहरा मैदान से चक्रपाणी स्कूल चौराहे की ओर आगे बढ़े, जिन्हें प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा शांति-व्यवस्था बनाए रखने हेतु समझाईश दी गई एवं संयमपूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तथा अश्रु गैस के माध्यम से न्यूनतम बल के प्रयोग द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, परन्तु रैली में शामिल कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा अभद्र गाली देते हुए लाठी-डंडा, पत्थर से पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों से मारपीट धक्का, मुक्की करते हुए बैरिकेट्स को तोड़कर संयुक्त जिला कार्यालय की ओर आगे बढ़े। उपद्रवी तत्वों द्वारा आक्रोशित होकर कार्यालय के समक्ष तैनात पुलिस बल के सदस्यों को जान से मारने की नियत से हमला कर तहसील कार्यालय, संयुक्त जिला कार्यालय भवन के परिसर एवं शहर के अन्य स्थानों में खड़े शासकीय व निजी वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी तथा आम जनता एवं व्यापारियों से लूट कर शासकीय/निजी संपत्ति को क्षति पहुंचायी गई। उपद्रवी तत्वों को नियंत्रित करने के अनुक्रम में 40 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी घायल हुये हैं, जिनमें 05 को गंभीर चोंटे आयी है। शासन द्वारा तत्कालीन जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

उक्त घटना को लेकर थाना-सिटी कोतवाली बलौदाबाजार में विभिन्न धाराओं के तहत 14 अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरणों की विवेचना हेतु विशेष टीम गठित कर विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर 170 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। प्रकरणों की सूक्ष्मतापूर्वक एवं गंभीरता से विवेचना की जा रही है।

शासन एवं प्रशासन प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं सौहार्द्र बनाये रखने के लिए दृढ़संकल्पित है। पुलिस द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम की गई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। पहले व्यवस्था आ जाए, फिर आपकी बात आएगी। बलौदाबाजार में हिंसा एवं आगजनी की घटना के विषय पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता एवं अन्य सदस्यों ने अपनी बात रखी। शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है। सबसे पहली बात यह है कि हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, वह आसंदी के द्वारा पढ़ा नहीं गया है। शासन से जवाब ले लिया गया है तो मैं यह नहीं समझता कि अब आसंदी ने कैसे निर्णय लिया, मैं उसमें नहीं कहूंगा। लेकिन हमारा जो स्थगन प्रस्ताव है, उसका आसंदी से वाचन होना था।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह बिल्कुल आधा-अधूरा है। उनको पूरी जानकारी नहीं है। एक बात तो सरकार ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने एस.पी. और कलेक्टर को निलंबित किया। इसका मतलब ही है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया, यह उनकी सबसे बड़ी चूक है इस कारण से उनका निलंबन हुआ है और यह विष्णु देव साय सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, यह बात आपने स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसको लीपा-पोती करने की कोशिश की जा रही है, यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, वह प्रदेश के भीतर के लोगों की गिरफ्तारी हुई है जबकि हम चर्चा में भाग ले रहे थे, तब भी यह कहें और जब हम वहां जांच करने गये तब भी यह बात हुई कि बाहर से लोग आए थे। वह कौन थे? अभी 10 जून से लेकर आज 22 जुलाई हो गये हैं, लेकिन अब तक बाहर से कौन लोग आए थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप यह लीपा-पोती करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुन: आग्रह करूंगा कि इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करके इस पर चर्चा करायें।

कृषि मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय भूपेश बघेल जी और आप सबसे से कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो त्वरित कार्रवाई की है, सरकार ने बुलंद इरादों के साथ जो कार्रवाई की है, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी के बाद यदि संसदीय कार्य मंत्री जी हैं तो वह कैसे बोल रहे हैं? क्या डिप्टी सी.एम. साहब सक्षम नहीं हैं?

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, सतनामी समाज के निरपराध लोगों को गिरफ्तार करने के लिए वह धन्यवाद दे रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- यदि संसदीय कार्य मंत्री जी बोलते तब समझ में आता, लेकिन आप यहां बोल रहे हैं।

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मंत्री जी, आज भी लोग लापता हैं। आप इतनी छोटी सी बात को कह रहे हैं। आप वरिष्ठ मंत्री हैं, आपको तो जांच करवानी चाहिए। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के द्वारा नारे लगाये गये)

श्री दिलीप लहरिया :- आप वरिष्ठ मंत्री हैं और आप धन्यवाद बोलते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे आग्रह किया है कि आप इस पर पुनर्विचार करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज भी लोग लापता हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा निरंतर शासन विरोधी नारे लगाये गये)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सतनामी समाज के बीच में ही भेद स्थापित करने के लिए किया जा रहा है । सतनामी समाज को बिखेरने की कोशिश हो रही है, दूसरे समाज से लड़ाई कराने की कोशिश हो रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे हमारा निवेदन है कि आप इसको ग्राह्य करें, पुनर्विचार करें । हमारी बातों को सुनें तभी यह बात सामने आयेगी अन्यथा इस समाज में इसी तरह से विषमता फैलती जायेगी और हमारा काम नहीं हो पायेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया इसे ग्राह्य करें ।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण सूचना । श्रीमती भावना बोहरा । (व्यवधान)

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा निरंतर शासन विरोधी नारे लगाये गये)

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ना चाहूंगी ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा निरंतर शासन विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही भोजनावकाश के लिये अपराह्न 3.00 बजे तक स्थगित ।

(अपराह्न 1.23 से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय :
3.00 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमारी बात पूरी सुनी नहीं। लंच का समय हो गया, लंच की छुट्टी हो गयी। अध्यक्ष महोदय, हम किसी की बुराई करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए ये स्थगन नहीं लाए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रशासनिक विफलता बलौदाबाजार की घटना के रूप में हम सब लोगों के सामने आयी है। आप हमारी बात सुन लेते। अभी गृह मंत्री जी नहीं दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी नहीं हैं। अब आप कह दें तो मैं साव साहब को मुख्यमंत्री मान लेता हूं। मेरा कहना ये था कि अब आप देखिए जो आपके गृह मंत्री जी ने हल्ला करते समय कुछ बातें कही है। गृह मंत्री जी, आपका इंतजार कर रहा था। आपने कहा है कि यह कहना सही नहीं है कि जिला बलौदाबाजार में हिंसा एवं आगजनी की घटना सरकार के लचर कानून व्यवस्था एवं खुफिया तंत्र की नाकामी का प्रमाण है। आपने कहा है न? कहा है न?

अध्यक्ष महोदय :- अब इसमें चर्चा संभव नहीं है। एक बार आपने विषय रखा है और विषय आगे बढ़ गया है।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं-नहीं सर, मैं पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं तो फिर आपने कलेक्टर और एस.पी. को क्यों सस्पेंड कर दिया?

अध्यक्ष महोदय :- आप किसी दूसरे माध्यम से इसको कभी लायेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं, सर, मैं कह रहा हूं कि हमारी बात सुनी नहीं गयी है। आप हमारी बात सुन लें।

अध्यक्ष महोदय :- आप कार्य सूची से आगे बढ़ गये।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं, कार्यसूची से आगे नहीं बढ़े हैं। (व्यवधान)

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ट्रेन आगे निकल गयी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आगे निकल गया।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण आ चुका है। (व्यवधान)

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं सर, कार्यसूची से आगे नहीं बढ़ी हैं। कोई दूसरी कार्यसूची नहीं आयी है। कोई भी दूसरी कार्यसूची नहीं आयी। (व्यवधान) कोई भी दूसरी कार्यसूची नहीं आयी। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है। आगे नहीं बढ़े थे। अभी-अभी 3 बजे तक के लिए स्थगित किये थे। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह गंभीर मामला है। (व्यवधान)

डॉ. चरणदास महंत :- कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- कार्यवाही आगे बढ़ गई है। (व्यवधान)

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं बढ़ी है। (व्यवधान) बिल्कुल नहीं बढ़ी है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची आगे बढ़ गई है। (व्यवधान)

डॉ. चरणदास महंत :- बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है। इस पर जांच की जाये। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- आप व्यवस्था का प्रश्न दीजिए। नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं। उन्हें बोलने दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- हम अगली प्रक्रिया में जा चुके हैं। ध्यानाकर्षण लिया जा चुका है। अब उस बात को करने का औचित्य नहीं है। (व्यवधान)

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं अगली प्रक्रिया में नहीं गये हैं। सर, आप यह बता दीजिए कि अगली प्रक्रिया में कहां गये थे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- हम आगे बढ़ गये हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- कहां बढ़े हैं? किसने बढ़ाया? (व्यवधान) किसमें चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- नेता जी, proceeding आगे बढ़ चुकी है। ध्यानाकर्षण हो चुका है तो क्या औचित्य है। (व्यवधान)

डॉ. चरणदास महंत :- कहां बढ़ी है? (व्यवधान) कहां बढ़ी है? (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- हो चुका है। उन्होंने पढ़ना चालू कर दिया है, फिर कहां से यह बात रिटर्न आ गयी? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आगे नहीं बढ़ी थी। (व्यवधान)

डॉ. चरण दास महंत :- आगे नहीं बढ़ी थी। (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण पुकार दिया गया। चलिए, आप आगे बढिए। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब..।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप शुरू करिए। आप ध्यानाकर्षण पढ़िए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, यह बहुत ही गंभीर मामला है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। अध्यक्ष महोदय जी, यह पूरे छत्तीसगढ़ का मामला है।

श्री भूपेश बघेल :- यह समाज के न्याय की बात है। इसमें चर्चा होने वाली बात है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सदन होता ही इसलिए है कि ऐसी घटना हो तो उसकी चर्चा हो, लेकिन दुर्भाग्यजनक यह है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य निरंतर नारे लगाते हुए गर्भगृह में आ गये)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने सतनामी समाज का कितना सम्मान किया, यह सब जानते हैं। सतनामी समाज को क्या-क्या नहीं बोला? लालपुर गये थे। आप क्या बोलकर आये हैं? आपने क्या शब्द बोला है, उसे कौन नहीं जानता। सतनामी समाज के लिए क्या किये हो? आपने क्या-क्या शब्द नहीं बोला। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री गुरू खुशवंत साहेब (आरंग) :- इन्होंने 5 साल में सतनामी समाज के लिए एक रूपये का विकास कार्य नहीं किया और आज सतनामी समाज का वकील बनने का ढोंग रचा रहे हैं। सतनामी समाज का आज तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। कवर्धा के धरमपुरा गांव में जैतखाम को जलाया गया, तब आपकी सरकार ने क्या किया? (व्यवधान) आज सतनामी समाज का वकील बन रहे हो इससे पहले जब धरमपुरा कांड हुआ था तब कहां थे? आपकी सरकार क्या कर रही थी? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप सब बैठिए। गुरू जी, आप बैठिए। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहते हुए निरंतर नारे लगाये गये)

(व्यवधान)

समय
3.07 बजे

<u>गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलम्बन</u>

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत् निम्न लिखित सदस्य अपना स्थान छोड़कर गर्भगृह में आने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं :-

1. डॉ. चरणदास महंत (नेता प्रतिपक्ष)
2. श्री भूपेश बघेल,
3. श्री कवासी लखमा,
4. श्रीमती अनिला भेंडिया,
5. श्री उमेश पटेल,
6. श्री लखेश्वर बघेल,
7. श्री भोलाराम साहू,
8. श्री लालजीत सिंह राठिया,
9. श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े,
10. श्री दिलीप लहरिया,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

11. श्री द्वारिकाधीश यादव,
12. श्रीमती अंबिका मरकाम
13 श्रीमती संगीता सिन्हा
14. श्री कुंवर सिंह निषाद
15. श्री देवेन्द्र यादव
16. श्री इन्द्रशाह मण्डावी
17. श्रीमती सावित्री मण्डावी
18. श्री विक्रम मण्डावी
19. श्री फूल सिंह राठिया
20. श्री अटल श्रीवास्तव
21. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
22. श्री ब्यास कश्यप
23. श्री बालेश्वर साहू
24. श्रीमती शेषराज हरवंश
25. श्रीमती कविता प्राणलहरे
26. श्री संदीप साहू
27. श्री इन्द्र साव
28. श्री जनक ध्रुव
29. श्री ओंकार साहू
30. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में सरकार विरोधी नारे लगाए गए)

अध्यक्ष महोदय :- निलंबित सदस्यों से आग्रह है कि वे सभा कक्ष से बाहर जाएं।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में लगातार नारे लगाये गए)

अध्यक्ष महोदय :- भावना बोहरा जी अपना ध्यानाकर्षण पढ़ेंगी।

श्रीमती भावना बोहरा :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

3:12 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) जिला-कबीरधाम, थाना-पिपरिया, ग्राम-बिरकोना अंतर्गत एक किसान की हत्या होना।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया), श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना इस प्रकार है :-

पिपरिया थाना, जिला-कबीरधाम अंतर्गत ग्राम बिरकोना निवासी कोमल साहू 35 वर्षीय किसान की हत्या दिनांक 06 मई, 2024 को कर दी गई जिससे ग्रामीणों में डर व भय का कारण बना हुआ है। वहीं स्थानीय थाना द्वारा इसकी जांच व कार्यवाही के नाम पर कई दिनों तक थाना के चक्कर लगवाते रहे, यहां तक की एफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं की गई। जब ग्रामीणों द्वारा इस घटना की तलब थाना में की गई तब पुलिस प्रशासन द्वारा मृतक को फांसी लगाकर आत्महत्या का रूप दे दिया गया जबकि मृतक के शरीर में काफी चोट के निशान भी पाए गए थे। यहां तक की केस डायरी में भी जांच किये आत्महत्या का उल्लेख कर दिया गया। जब यह घटना प्रदेश भर में गुंजने लगी तब एसआईटी का गठन किया गया उसमें भी अब तक रिपोर्ट नहीं दिया गया है। ग्रामीण व परिवारजन थाना के चक्कर काट रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं व जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटना को जानबूझकर ढील दिया जा रहा है और दोषियों को बचाने के लिये उनके साथ सांठ-गांठ कर मामले को रफादफा करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय पुलिस प्रशासन की इस लचर व्यवस्था के कारण ग्रामीणों व परिवारजनों में काफी रोष व आक्रोश व्याप्त है।

उप मुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचनाकर्ता मनोज साहू पिता हीरालाल उम्र 44 वर्ष साकिन बिरकोना थाना पिपरिया जिला कबीरधाम द्वारा थाना पिपरिया जिला कबीरधाम में मर्ग क्रमांक 00/2024 (शून्य पर) मर्ग इन्टीमेशन चाक कराया कि दिनांक 07.05.2024 के प्रातः समय लगभग 11:30 बजे मोबाईल व्हाट्सअप के माध्यम से पता चला कि ग्राम धरमपुरा चरोठाखार में एक व्यक्ति बबूल के पेड़ में फांसी लगाकर लटक रहा है, फोटो को मोबाइल में देखा तो पता चला कि मेरा चचेरा भाई कोमल साहू है। घर में पता करने पर पता चला कि कोमल साहू दिनांक 06.05.2024 को प्रातः 06.00 बजे घर से निकला है, जो वापस नहीं आया है, तब सूचनाकर्ता मनोज साहू मौके पर जाकर देखा तो मृतक कोमल साहू, घनश्याम ठाकुर के खेत के मेड़ में लगे बबूल पेड़ में बंदन कलर के गमछा से फांसी का फंदा लगाकर पेड़ पर लटका हुआ है।

थाना पिपरिया में असल मर्ग क्रमांक 19/2024 धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 07.05.2024 के 18.10 बजे (शाम 06.10 बजे) दर्ज कर शव जांच पंचनामा कार्यवाही किया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मृतक कोमल साहू के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टर द्वारा कराया गया है एवं जांच प्रारंभ की गयी। परिजन द्वारा मृतक कोमल साहू की हत्या का संदेह व्यक्त किया गया है, जिस पर मर्ग जांच हेतु गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 2388/99/2024/गृह-दो/रापुसे/नवा रायपुर दिनांक 15 जून 2024 के आदेश पर एसआईटी टीम गठित है, जिसमें पुलिस अधीक्षक जिला बेमेतरा के नेतृत्व में निरंतर जांच की जा रही है ।

एसआईटी टीम द्वारा मृतक की पत्नी, ससुर एवं बेटी का कथन लिया गया है। प्रकरण के संदेहियों से पूछताछ कर कथन लेख किया गया है । जांच के दौरान मृतक के परिजन संबंधी एवं संदेहियों के मोबाईलों का कॉल डिटेल रिपोर्ट, वाईस कॉल डिटेल रिपोर्ट, कस्टमर एप्लीकेशन फार्म तथा संदेही के घर पर लगे सीसीटीव्ही फुटेज का तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है । एसआईटी के द्वारा प्रकरण की सभी पहलुओं पर सतत जांच की जा रही है । यह कहना गलत है कि इस घटना को लेकर परिवारजनों एवं ग्रामीणों में पुलिस एवं प्रशासन के प्रति किसी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि जो एसआईटी का गठन हुआ है, उसमें सदस्यों की जो टीम बनी है, उनको यह कहा गया था कि प्रदेश में 7 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट जमा करें । अध्यक्ष महोदय, इस बात को लगभग 37 दिन हो गये हैं, अभी तक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की है और जो जवाब आया है उसमें लिखा हुआ है कि निरन्तर जांच प्रक्रिया चल ही रही है । अध्यक्ष महोदय, जब एसआईटी को 7 दिनों का समय दिया हुआ था और अभी 37 दिन हो गये हैं, अत: एसआईटी ने जांच प्रक्रिया पूरी कर ली है या नहीं किया है, जांच प्रक्रिया कब तक चलेगी, वास्तविक स्थिति का जांच कर अभी तक न कोई रिपोर्ट जमा की गई है और न ही इसका जवाब अभी तक आया है ?

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, 7 दिनों के अंदर किया जायेगा । अभी इसमें समय लग सकता है, चूंकि जांच बड़ी है, आपको बताना चाहूंगा कि केस डायरी में पुलिस ने लिख दिया है कि आत्महत्या है । ऐसा केस डायरी में पुलिस ने कहीं नहीं लिखा है कि वह हत्या है । मर्ग भी कायम हुआ है, एक तो घटनास्थल पर मर्ग कायम हुआ है और दूसरा मर्ग 7 मई 2024 को शाम 6.10 बजे मर्ग कायम हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसमें पी.एम.रिपोर्ट भी लगा हुआ है, Asphyxia due to hanging ऐसा पी.एम. रिपोर्ट में आया हुआ है, इसके उपरांत जो grievances था, इसके लिये जांच समिति गठित की गई है और जांच की जा रही है ।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे पहले विषय यही है कि जांच करने के लिये 7 दिनों का आदेश दिया गया था, उनको 7 दिनों के भीतर जो भी जांच है, उसे जमा करनी चाहिये थी । अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय है कि परिजन थाने में रिपोर्ट मांग रहे हैं कि कैसा और क्या है तो बात आती है कि कहीं पर सुसाईड किया गया है । अध्यक्ष महोदय, कहीं भी इस बात का विषय नहीं दिया

जा रहा है कि इस विषय पर जांच में हत्या की भी आशंका बनती है । अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हत्या की आशंका से भी जांच किया जाये । अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय यह है कि इस घटना में जांच हेतु एसआईटी टीम का गठन किया गया और इसके साथ मैं जानना चाहूंगी कि घटना में जो जांच के लिये एसआईटी टीम का गठन किया गया है तो इससे संबंधित जवाब आई.जी. को देना है या शासन के गृह विभाग तक जांच रिपोर्ट जायेगी, यह भी कृपया स्पष्ट करें ?

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, कृपया एक बार रिपीट कर दीजिए ?

श्रीमती भावना बोहरा :- आपने जो एसआईटी. का गठन गृह विभाग से किया है, एसआईटी की जांच रिपोर्ट जब भी आयेगी, उसकी डेट तय की जाये कि इस डेट पर एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट की जायेगी। दूसरा विषय यह है कि जब जांच रिपोर्ट आयेगी तो संभाग के जो पुलिस महानिरीक्षक हैं, आई.जी. हैं, संभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, इस घटनाक्रम की रिपोर्ट उनको सौंपी जायेगी या रिपोर्ट गृह विभाग को की जायेगी ।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, एसआईटी में समय के लिये बात की जा सकती है, लेकिन कहा जा सकता है कि जांच होने के बाद जो भी परिस्थितियां सामने आती है, जिस प्रक्रिया तक किया जा सकता है, उसे किया जायेगा .... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले यह बता दीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है और घटना कब की है ? माननीय मंत्री जी, हमने आपके जिले में एक घटना देखी थी, जब हम 1998 से 2003 तक विधायक थे तो बलदाऊ कौशिक हत्याकांड हुआ था तो पुलिस वाले एक दिन लाश को एक जगह दफनाते थे, फिर उखाड़ते थे, फिर दूसरी जगह दफनाते थे । फिर उखाड़ते थे, फिर तीसरी जगह दफनाते थे । जब हमारी सत्ता आई, जांच हुई तो पुलिस वाले के ऊपर हत्या की रिपोर्ट हुई और कार्रवाई हुई । यह इसी तरह की बात है । यह हत्या है या आत्महत्या है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है ? अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गई होगी तो सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताईए ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करा दूंगा । साथ ही साथ इसमें यह है कि *Asphyxia* Due to hanging *antemortem* in nature यह फाईल में उसका कमेट्स है । उसके माध्यम से फॉसी से मृत्यु, ऐसा कहा गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें बॉडी पर चोट के निशान थे या नहीं थे ? जब देखा तो यह मान लिया कि फॉसी से है। उनकी बॉडी पर चोट के निशान पाए गए या नहीं पाए गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका कोई उल्लेख है क्या ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों के सामने आने के बाद एस.आई.टी. का गठन किया गया है और एस.आई.टी. के माध्यम से जॉच हो रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.आई.टी. का गठन आप किसी भी विषय पर करें, जब पोस्टमार्टम किया गया तो बॉडी में चोट है या नहीं है, यह स्पष्ट है या नहीं, यह पहले बताईए ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बॉडी में *Degradation* का विषय है, उसमें चोट का उल्लेख नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दूसरी बात कर रहे हैं । चाहे आप अंग्रेजी में बोलें या हिन्दी में बोलें ।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचनामा में चोट का उल्लेख किया गया है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वह पंचनामा से अलग है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दूसरी बात कह रहे हैं । उनके परिजनों ने, देखने वालों ने, सबने यह कहा कि बॉडी में चोट है । आपका रिपोर्ट कैसे बोल रहा है कि बॉडी में चोट है या नहीं, यह बता दीजिए ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि यह 24 से 36 घंटे पुराना डैथ है । यह कहते हुए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के जननांगों में कोई चोट लगने से सूजन थी अथवा अन्य कोई कारण था, जिससे जननांग में सूजन आ सकती है, ऐसा इसमें एक विषय है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिए, माननीय मंत्री जी, वे जो लिखकर दे रहे हैं, क्या बोला गया है, वह बहुत छोटा सा विषय है । आप स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, आपकी रिपोर्ट को पढ़ा जिसने भी पढ़ा । बॉडी में चोट है या नहीं है, उसको तकनीकी भाषा में आप बात को मत घूमाईए । चोट है या नहीं, उसको एक लाईन में बताईए ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सदस्य जी, चोट लगने की बात पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चोट लगने का कोई विषय पोस्टमार्टम में नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, अभी आपने कहा कि चोट लगने की बात कही गई है इसीलिए एस.आई.टी. गठन करने की बात है ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों ने कहा है । पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों के कहने पर आपने एस.आई.टी. गठित की ?

श्री विजय शर्मा :- लोगों की मांग है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने लोगों की मांग पर एस.आई.टी. का गठन कर दिया ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों की मांग पर एस.आई.टी. का गठन हुआ है, लोगों ने कहा कि इसमें हमको हत्या का अंदेशा दिखता है इसलिए उसमें एस.आई.टी. का गठन किया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माने आपके पास एस.आई.टी. गठन करने का कोई आधार नहीं है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यही सारी बातें थीं, जिसमें चोट का विषय कहा गया था । इसमें कहा गया था कि हमको आशंका है, किसी प्रकार की हत्या की गई है इसलिए एस.आई.टी. का गठन किया गया है । इसीलिए एस.आई.टी. के माध्यम से जांच की जा रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पहली बार देख रहा हूं कि लोगों की मांग पर एस.आई.टी. गठित हो रही है । आप दूसरी बात यह बता दीजिए कि (अस्पष्ट) माननीय मंत्री जी, एक मिनट दीजिएगा । माननीय मंत्री जी, एस.आई.टी. गठित की गई तो एस.आई.टी. कौन-कौन से बिन्दुओं पर जांच करेगी, कितने दिन के लिए गठित की गई और कौन-कौन से विशेषज्ञ एस.आई.टी. में शामिल हैं ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में बेमेतरा के एस.पी. के अधीन एस.आई.टी. का गठन किया गया है और उसके साथ-साथ उसके 6 अन्य सदस्य हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक, जिला बेमतरा से सदस्य ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक्सपर्ट कौन हैं ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर से एक्सपर्ट ओपीनियन लिया जाएगा । इस एस.आई.टी. में एक्सपर्ट नहीं रखा गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि जांच को प्रभावित ना कर सके, इसलिए क्या एस.आई.टी. जांच होने तक सम्बन्धित थाने के स्टाफ को, संबंधित जांच अधिकारी को हटायेंगे ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.आई.टी. अपनी अलग जांच कर रहा है, उसकी अपनी अलग टीम है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.आई.टी. की अलग टीम है। उस अलग टीम के माध्यम से जांच की जा रही है। इसमें दो व्यक्ति उस जांच कैसे प्रभावित कर सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घटना के समय जो पदस्थ थे, उनको हटायेंगे क्या ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि घटना के समय पदस्थ जो लोग भी जांच में गये थे, उनके माध्यम से जांच नहीं हो रहा है। एस.आई.टी. के माध्यम से जांच हो रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब वह कहीं न कहीं तो होगा। अगर वही लोग हैं तो वह कहीं न कहीं तो रहेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, जो मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उसको सुनिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि वहां घटना के समय जो पदस्थ अधिकारी हैं, उनको हटायेंगे क्या, ताकि जांच प्रभावित ना हो ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि इसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आवश्यकता नहीं है।

श्री विजय शर्मा :- एस.आई.टी. गठित हुआ है, एस.आई.टी. जांच कर रहा है। इसमें इस बात की क्यों आवश्यकता है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि वह करप्ट है और लोगों की मांग पर एस.आई.टी. गठित है, किन्हीं अन्य कारणों से एस.आई.टी. गठित नहीं है। यदि वह पदस्थ है तो फिर यह जांच फिक्सड है और फिर ऐसी जांच का कोई औचित्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- बस, हो गया।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब इस विषय को लेकर grievance रहा, जब यह आशंका जताई गई कि यह आत्महत्या नहीं, यह हत्या का विषय हो सकता है। इसीलिए क्या यह हत्या है, इस बात को समझने के लिए एस.आई.टी. का गठन किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा, आपसे विनम्र आग्रह है कि एस.आई.टी. जांच होते तक आप पदस्थ लोगों को हटायें, आप पदस्थ लोगों को हटाने की घोषणा करिये, तब निष्पक्ष जांच होगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। पिपरिया थाने में जो व्यक्ति जांच के लिए पदस्थ रहा है, जांच अधिकारी को पिपरिया थाने से हटा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये हो गया।

श्री अजय चन्दाकर :- ठीक है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न है..।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, बहुत हो गया।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- इसको इससे ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते।

श्रीमती भावना बोहरा :- बस एक निवेदन यह है कि एस.आई.टी. जांच जल्दी हो जाये।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (निलंबित)।

(श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य गर्भगृह में आने के कारण निलंबित)

समय
3.27 बजे

नियम 267-क के अधीन सून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. श्री अजय चन्द्राकर

समय
3.27 बजे

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2024 की तिथि निर्धारित करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2024 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(अपराह्न 3.28 बजे विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 23 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 31, शक संवत् 1946) को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा

रायपुर (छत्तीसगढ़) **सचिव**

दिनांक 22 जुलाई, 2024 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं